



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग दोन

वर्ष ११, अंक ५]

गुरुवार, जानेवारी १६, २०२५/पौष २६, शके १९४६

[पृष्ठे १२३, किंमत : रुपये १२.००

असाधारण क्रमांक ७

प्राधिकृत प्रकाशन

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

नई दिल्ली, 13 जनवरी 2025

अधिसूचना

No. JNP/A/P/Gazette Notification/2025

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 18 के साथ पठित धारा 72 (2) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण का मंडल, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024 को, संबंधित हितों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए, इसके नीचे अनुसूची में यथा विस्तृत, एतद् द्वारा पूर्व - प्रकाशित करता है।

2. आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, इसके पूर्व-प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर निम्न पते पर भेजे जाएँ :—

डाक का पता : महाप्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव
जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण,
प्रशासन भवन,
शेवा, नवी मुंबई - 400707

ई-मेल आईडी : gmadmn@jnport.gov.in

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2021

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 18 के साथ पठित धारा 72 (2) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण का मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :—

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2021

उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

(१)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2021" होगा।

यह विनियमावली महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा की धारा 18 के साथ पठित धारा 72 (2) (सी) के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

2. अनुप्रयोग :

यह विनियमावली अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले पदों सहित बोर्ड के तहत अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सृजित सभी पदों पर लागू होगी।

3. परिभाषाएं :

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1)।
- (ख) "सदृश पद" का अर्थ उस पद से है जिसकी सेवा और कर्तव्यों का स्तर एवं वेतन सीमाएँ उस पद के समतुल्य हैं जिसके लिए चयन किया जाना है।
- (ग) किसी श्रेणी अथवा पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ है उसे श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली, 2021 के अंतर्गत समर्थ प्राधिकारी।
- (घ) "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" एवं "विभागाध्यक्ष" के अर्थ वही हैं जो अधिनियम में दिए गए हैं।
- (ङ) "श्रेणी I के पदों", "श्रेणी II के पदों", "श्रेणी III के पदों" और "श्रेणी IV के पदों" के अर्थ वही होंगे जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली 2021 के विनियम 4 में दिए गए हैं।
- (च) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ है किसी श्रेणी अथवा पद पर पदोन्नति अथवा पुष्टि हेतु सिफारिश करने के लिए विनियम 26 के अंतर्गत समय-समय पर गठित की गई समिति।

- (छ) "सीधी भर्ती" का अर्थ है प्रतियोगी परीक्षा अथवा परीक्षा एवं/या साक्षात्कार के आधार पर सेवा चयन समिति द्वारा चुना गया व्यक्ति ।
- (ज) "कर्मचारी" का अर्थ है मंडल का कर्मचारी ।
- (झ) "श्रेणी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बनाई गई एवं मंजूर की गई कर्मचारियों की अनुसूची में निर्दिष्ट कोई श्रेणी ।
- (ञ) "पुनर्ग्रहणाधिकार" का अर्थ है तत्काल या अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों के समाप्त होने पर किसी कर्मचारी द्वारा नियमित आधार पर उस पद को धारित करने का हक जिस पर वह नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और जिस पर वह परिवीक्षा पर न हो ।

परन्तु यह कि किसी नियमित पद को धारित करने का हक इस शर्त के अधीन होगा कि उस श्रेणी में यदि पात्र व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक हो तो उस श्रेणी के कनिष्ठतम व्यक्ति को उससे निचली श्रेणी में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा ।

- (ट) "स्थायी कर्मचारी" का अर्थ है कोई कर्मचारी जिसे किसी स्थाई पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर दिया गया हो ।
- (ठ) "अनुसूची" का अर्थ है इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।
- (ड) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का अर्थ क्रमशः वही होगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के उपबंध (24) और (25) में दिया गया है ।
- (ण) किसी श्रेणी अथवा पद के संबंध में "चयन सूची" का अर्थ है उस श्रेणी अथवा पद के लिए विनियम 13 के अनुसार बनाई गई चयन सूची ।
- (त) "चयन पद" का अर्थ है इस विनियमावली के विनियम 5 के अंतर्गत घोषित कोई पद ।
- (थ) "सेवा चयन समिति" का अर्थ है सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और/या साक्षात्कार द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए विनियम 12 के तहत गठित समिति ।
- (द) "अस्थायी कर्मचारी" का अर्थ है कोई अस्थायी पद धारित करने वाला अथवा किसी स्थाई पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाला अथवा मंडल की सेवा में नियुक्ति होने पर परिवीक्षाधीन कर्मचारी ।

4. भर्ती का तरीका

जिन पदों पर यह विनियमावली लागू होती है, उन पर सभी नियुक्तियाँ इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। नियुक्तियाँ पदोन्नति, आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती हैं। प्रतिनियुक्ति महापत्तन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्तशासी निकायों या सरकारी कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों में से की जा सकती है जो उस पद के लिए निर्धारित अर्हता मानकों को पूरा करते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन (03) वर्ष की है जिसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में, किसी पद के मामले में केंद्र सरकार द्वारा इसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है,

परन्तु यह कि विभागाध्यक्ष माने जाने वाले पद और उससे एक स्तर नीचे के पदों के संबंध में सभी रिक्तियों को "भर्ती की संयुक्त पद्धति" अर्थात् पदोन्नति/स्थानांतरण/आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति तथा दोनों स्थितियों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। पदोन्नति/स्थानांतरण पर आमेलन महापत्तनों के उन अधिकारियों में से किया जाएगा जो इस विनियमावली की संलग्न अनुसूची में बताए गए अर्हता मानकों को पूर्ण करते हैं।

5. अनुसूचियाँ

श्रेणी I के पदों के संबंध में भर्ती का तरीका अर्थात् सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति या आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा, अर्हता, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव की आवश्यकताएँ, पदों का वर्गीकरण - चयन अथवा गैर-चयन पद - और विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अन्य मामले इस विनियमावली की संलग्न अनुसूची में दर्शाए जाएँगे। श्रेणी- II, III और IV के पदों के संबंध में, भर्ती का तरीका मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। अनुसूची में महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1963 की धारा 23 के उपबंधों के अधीन तैयार की गई कर्मचारियों की अनुसूची में दर्शाए अनुसार विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी संख्या भी दिखाई जाएगी। यह संख्या महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 18 के उपबंधों के तहत समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है। पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड अनुसूची के कालम 9 में बताई गई सीमा तक लागू होंगे तथा पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता अनुसूची के कालम 12 में बताए अनुसार होगी।

परन्तु यह कि सीधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के लिए, विभागाध्यक्षों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में केन्द्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए निम्नलिखित रूप से छूट दी जा सकती है :

- (i) जहाँ न्यूनतम निर्धारित अनुभव 10 वर्ष या अधिक है वहाँ 5 वर्ष तक तथा जहाँ न्यूनतम निर्धारित अनुभव 5 से 9 वर्ष है वहाँ 3 वर्ष तक ।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो भूतपूर्व सैनिक हो अर्थात् भारतीय रक्षा बलों का भूतपूर्व कर्मचारी हो और जिसने रक्षा बलों में कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा की हो, उसे यदि रिक्ति भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हो, तो रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि के बराबर अवधि तथा 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी तथा यदि रिक्ति अनारक्षित हो तो उसके द्वारा रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि के बराबर छूट दी जाएगी । साथ ही,
- (iii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी ।

परन्तु यह भी कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर के दौरान यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से निर्धारित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो वह अपने विशेषाधिकार से उन्हें अनुभव की आवश्यकताओं में छूट दे सकती है ।

6. खाली पदों का रोस्टर

प्रत्येक श्रेणी के लिए एक रोस्टर रखा जाएगा जिसमें यह दिखाया जाएगा कि किसी खाली पद को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरा जाना है । तथापि, सीधी भर्ती के लिए आरक्षित कोई पद यदि सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जा सकता, उसे पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा तथा अगला खाली पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । इसी प्रकार यदि पदोन्नति के लिए आरक्षित कोई पद पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकेगा तो वैसी ही समान विधि अपनाई जाएगी ।

7. आरक्षण

- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार के अधीन पदों के संबंध में, पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों के आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश इस विनियमावली के अंतर्गत आने वाली सभी नियुक्तियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण के लिए अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों, खिलाड़ियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर जारी

किए गए आदेश भी इस विनियमावली के अंतर्गत आने वाली नियुक्तियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और जिनके लिए सीधी भर्ती की जाती है।

8. सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि :

(1) किसी भी श्रेणी अथवा पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को -

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा
- (ख) नेपाल की प्रजा होना चाहिए अथवा
- (ग) भूटान की प्रजा होना चाहिए अथवा
- (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए, अथवा
- (ङ) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आने वाला पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका अथवा केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ाइरे और इथियोपिया जैसे पूर्व अफ्रीकी देशों और वियतनाम से आया भारतीय मूल का विस्थापित व्यक्ति होना चाहिए।

परंतु यह है कि कोटि (क) का अभ्यर्थी अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर अपनी राष्ट्रीयता का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

साथ ही यह है कि कोटि (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में राष्ट्रीयता का प्रमाण अथवा पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उन्हें केन्द्र सरकार से मिलने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तक अस्थायी रूप से यथास्थिति नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अस्थायी नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) जब किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति की जानी हो और इस विनियमावली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला उपयुक्त अभ्यर्थी मिल पाना संभव न हो तो अध्यक्ष केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से उप-विनियम (1) की किसी आवश्यकता में संशोधन कर सकते हैं अथवा उससे छूट दे सकते हैं।

(3) कोई व्यक्ति,

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या सगाई कर ली हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या सगाई कर ली हो ।

ऐसी किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिन पर यह विनियमावली लागू होती है ।

परन्तु अगर विभागाध्यक्षों के विषय में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा विवाह करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वे ऐसे व्यक्ति को इस उप-विनियम से छूट दे सकते हैं ।

- (4) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त उसे किसी श्रेणी अथवा पद के लिए योग्य ठहराते हैं । कोई अभ्यर्थी जो न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता का दोषी पाया गया हो अथवा जिसे दिवालिया ठहराया गया हो, किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।
- (5) अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसे शारीरिक दोष नहीं होने चाहिए जिनके कारण वह मंडल की सेवा में अपने कर्तव्य न निभा सके । ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जाएगा जो विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा जांच की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता है ।
- (6) यदि यह प्रश्न उठता है कि अभ्यर्थी द्वारा इस विनियम की सभी अथवा किसी आवश्यकता को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं तो इसका निर्णय विभागाध्यक्षों के विषय में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

9. सीधी भर्ती के लिए वर्तमान कर्मचारियों की अर्हता :

जब अपेक्षित पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए विज्ञापित किया गया हो तो यदि पहले से सेवा में लगे कर्मचारियों के पास निर्धारित योग्यता और अनुभव है तो वे भी आवेदन कर सकते हैं । ऐसे मामलों में आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

10. पदों का विज्ञापन :

- (1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तीसरे तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों के लिए महाराष्ट्र रोजगार कार्यालय सेवा से पात्र और योग्य अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड की जाएगी और अगर रोजगार कार्यालय में पर्याप्त संख्या में योग्य और पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो पदों को राज्य के अंतर्गत ही प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा । सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वर्ग-I और वर्ग-II के पदों को राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और रोजगार समाचार के साथ-साथ पत्तन की वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाएगा ।

- (2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो जिस माह में पद अधिसूचित/ विज्ञापित किया गया है, उस माह की पहली तारीख योग्यता, अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।

11. कुछ मामलों में लिखित अथवा प्रवीणता परीक्षा का आयोजन :

नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेंगे कि लिखित अथवा प्रवीणता परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाएँ आयोजित की जानी चाहिए अथवा नहीं। साथ ही, वे उक्त परीक्षाएँ संचालित करने वाले अधिकारी का नाम, परीक्षा आयोजित करने की विधि और अन्य संबंधित बातें भी तय करेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी लिखित अथवा प्रवीणता परीक्षा के आयोजन के लिए किसी परामर्शदाता अथवा परामर्शी फर्म की नियुक्ति भी कर सकेंगे।

12. सेवा चयन समिति :

- (1) विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित करने के लिए उप-विनियम (2) में बताए अनुसार प्रत्येक श्रेणी अथवा पद के लिए एक सेवा चयन समिति होगी।
- (2) पदों की श्रेणी तथा उनके लिए उप-विनियम (1) में उल्लिखित सेवा चयन समिति का गठन निम्नलिखित होगा :

क) विभागाध्यक्षों के लिए

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) पीएचआरडी का प्रभार देख रहे
पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन) | - | अध्यक्ष |
| (ii) ज. ने. पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष | - | सदस्य |
| (iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा
नामित किसी अन्य पत्तन के अध्यक्ष
या उस क्षेत्र में वृहद अनुभव रखने वाला कोई अधिकारी | - | सदस्य |
| (iv) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा
नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं
अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि | - | सदस्य |

ख) श्रेणी I के पदों के लिए

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) अध्यक्ष | - | अध्यक्ष |
| (ii) उपाध्यक्ष | - | सदस्य |
| (iii) जिस विभाग में रिक्ति है उसके प्रभारी विभागाध्यक्ष | - | सदस्य |

	(iv) प्रशासन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
	(v) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
ग)	श्रेणी II के पदों के लिए		
	(i) उपाध्यक्ष	-	सदस्य
	(ii) प्रशासन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
	(iii) उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध)	-	सदस्य
	(iv) जिस विभाग में रिक्ति है उसके प्रभारी विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
	(v) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
घ)	श्रेणी III के पदों के लिए		
	(i) प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
	(ii) जिस विभाग में रिक्ति है, उसका ऐसा अधिकारी जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से नीचे का न हो	-	सदस्य
	(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित जनेप प्राधिकरण के किसी अन्य विभाग का ऐसा अधिकारी जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से नीचे का न हो	-	सदस्य
	(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि जिनका स्तर उप महाप्रबंधक से नीचे का न हो	-	सदस्य
ङ)	श्रेणी IV के पदों के लिए		
	(i) विभाग का श्रेणी-I का एक अधिकारी, जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से नीचे का हो	-	अध्यक्ष
	(ii) जिस विभाग में रिक्ति है, उसका श्रेणी-I का अधिकारी जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से नीचे का हो	-	सदस्य
	(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित जनेप प्राधिकरण के किसी अन्य विभाग का श्रेणी-I का ऐसा अधिकारी जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से नीचे का हो	-	सदस्य
	(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि जिनका स्तर उप महाप्रबंधक	-	सदस्य

से नीचे का हो

नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को भी सेवा चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं जो मंडल की सेवा में न हो यदि वह संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। यदि सेवा चयन समिति का कोई सदस्य उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए उसके स्थान पर समुचित स्तर के किसी और अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

- (3) जहां एक से अधिक विभागों की समान श्रेणियों में खाली पदों के लिए साझा चयन द्वारा भर्ती की जानी हो, वहां चयन समिति का गठन प्रत्येक मामले में अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाएगा।

13. चयन सूची :

सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर विचार के लिए सेवा चयन समिति अपने आकलन के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में रखने की सिफारिश कर सकती है। ऐसी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी। नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची की वैधता अधिकतम छः महीने अथवा नई चयन सूची अनुमोदित किए जाने में से जो भी पहले हो, तक बढ़ा सकते हैं।

14. चयन समिति की सिफारिशों पर विचार एवं तदर्थ नियुक्ति :

सीधी भर्ती की सभी नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित सेवा चयन समिति की सिफारिश से की जाएंगी।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वे सेवा चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करें, किन्तु ऐसी स्थिति में उसके कारण लिखित रूप में बताए जाने चाहिए।

साथ ही, यह भी कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष का अधीनस्थ अधिकारी हो और वह किसी मामले में सिफारिशों से असहमत हो तो वह असहमति के कारण लिखित रूप से बताएगा और मामला अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो उस पर निर्णय लेंगे।

और यह भी कि किसी बिल्कुल अस्थायी पद अथवा अवकाश रिक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए आरक्षित किसी रिक्ति को तुरंत भरने की आवश्यकता के मामले में, अध्यक्ष एक बार में छः महीने किन्तु एक साल से अधिक नहीं, के लिए

तदर्थ आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जो रिक्त पद को भरने के योग्य हो :-

- (1) जहाँ अपरिहार्य हो तदर्थ नियुक्ति, भर्ती नियमों में बताई गई योग्यता तथा अनुभव की आवश्यकता पूरी करने पर ही होनी चाहिए।
- (2) अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि उस पद की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- (3) अन्य मामलों में, अस्थायी नियुक्तियों के स्थान पर चयन सूची से नियमित नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिए।

15. सिफारिश अयोग्यता मानी जाएगी :

किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति या उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन जुटाने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

16. तथ्यों को दबाना अयोग्यता माना जाएगा :

अगर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने जान बूझकर गलत जानकारी दी है अथवा चरित्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है जिसके पता चल जाने पर उसे किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति से सामान्यतः वर्जित कर दिया जाता, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अगर वह नियुक्त हो चुका है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा।

17. नियुक्ति आदेश रद्द करना :

यदि सीधी भर्ती के लिए आरक्षित किसी पद पर नियुक्ति के लिए चयनित कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित तारीख तक अथवा अगर प्रस्ताव में कोई तारीख न दी गई हो तो प्रस्ताव जारी होने के 30 दिनों के भीतर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी विस्तारित अवधि तक कार्य पर उपस्थित नहीं होता है तो नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।

18. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान :

सीधी भर्ती से भरे गए पदों के मामले में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए की गई किसी भी यात्रा का खर्च अभ्यर्थी को (मंडल की सेवा में लगे कर्मचारियों सहित) स्वयं वहन करना होगा। किन्तु लिखित अथवा ट्रेड परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

19. परिवीक्षा अवधि :

- (1) सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा आमेलन द्वारा किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को उप-विनियम (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। किन्तु उन व्यक्तियों को जिन्हें रु. 80000 - 2,22,000 और उसके आगे के वेतनमानों वाले विभागाध्यक्षों और उप-विभागाध्यक्षों के पदों पर भर्ती की संयुक्त विधि के द्वारा आमेलन आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें परिवीक्षा काल में नहीं रखा जाएगा।

परन्तु नियुक्ति आदेश में बताए अनुसार अगर नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए हो तो, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधि आगे न बढ़ाए जाने पर अवधि की समाप्ति पर उसे रद्द कर दिया जाएगा।

परन्तु जब नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है और उसका वेतनमान अधिकतम रु. 80,000/- से अधिक न हो, तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी।

परन्तु तीसरी और चौथी श्रेणी के वर्गों में पदोन्नति से नियुक्ति होने पर किसी प्रकार की परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।

परन्तु यदि किसी श्रेणी या पद पर परिवीक्षा अवधि में किसी कर्मचारी को किसी उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया जाता है तो वह उच्चतर श्रेणी अथवा पद पर अपनी नियुक्ति के कार्यकाल को अपनी निचली श्रेणी अथवा पद की परिवीक्षा पूर्ण करने में शामिल कर सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी को पहले किसी श्रेणी अथवा पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया गया हो तो वह समान श्रेणी अथवा पद पर परिवीक्षा पर नियुक्ति होने पर उस स्थानापन्न अवधि को (तदर्थ सेवा छोड़कर) उस श्रेणी अथवा पद की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए शामिल कर सकेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि एक बार में निश्चित अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, किन्तु जब तक कर्मचारी के खिलाफ किसी विभागीय अथवा कानूनी कार्रवाई के कारण विस्तार आवश्यक हो तब तक ऐसे विस्तारों की कुल अवधि निर्धारित परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को ऐसा कोई भी विभागीय प्रशिक्षण लेना होगा अथवा विभागीय परीक्षा देनी होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके लिए समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

20. परिवीक्षा पर कर्मचारियों की पुष्टि :

- (1) सामान्य

- (i) किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान उसकी केवल एक ही बार पुष्टि की जाएगी जो कि प्रवेश श्रेणी में होगी ।
- (ii) पुष्टि का उस श्रेणी में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है । दूसरे शब्दों में कोई अधिकारी जिसने अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो उसे सेवा में पुष्ट किया जा सकता है ।
- (2) जिस श्रेणी में प्रारंभ में भर्ती हुई है, उसमें पुष्टि
- (i) नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूर्ण करनी चाहिए ।
- (ii) मामले को (पुष्टि के लिए) विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा ।
- (iii) जब मामले को सभी ओर से अनुमति प्रदान कर दी जाएगी तो सेवा में पुष्टि का विशेष आदेश जारी किया जाएगा ।
- (3) पदोन्नति पर
- (i) यदि भर्ती नियमों में कोई परिवीक्षा अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति, प्रक्रिया आदि का पालन करने के बाद) नियमित आधार पर पदोन्नत किसी अधिकारी को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में पुष्ट हो चुके व्यक्ति को प्राप्त होंगे ।
- (ii) जहाँ परिवीक्षा अवधि निर्धारित है वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद अधिकारी के कार्य एवं आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेंगे और यदि निष्कर्ष यह निकलता है कि अधिकारी उच्चतर श्रेणी में पदस्थ करने योग्य है तो वे यह घोषित करने के लिए एक आदेश जारी करेंगे कि उक्त अधिकारी ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण कर ली है । पर यदि अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा उसे कुछ समय और देखने की आवश्यकता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे मामले के अनुसार उसी पद या श्रेणी में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं जिससे वह पदोन्नत हुआ था या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं ।
- चूँकि जब तक किसी अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप से परिवीक्षा पूर्ण करने की घोषणा नहीं की जाती तब तक पदोन्नति पर पुष्टि नहीं होगी, अतः उसके कार्य निष्पादन की गहराई से जाँच की जानी चाहिए और यदि परिवीक्षा के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे उसी पद या श्रेणी में प्रत्यावर्तित करने में, जिससे वह पदोन्नत हुआ था, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए ।

परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टि :

कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति स्थायी पद पर सीधी भर्ती से हुई हो और जहाँ परिवीक्षा की निश्चित शर्तें हों, उसे उसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तारीख से ही उस श्रेणी में पुष्ट किया जाना चाहिए । इस बात का निर्णय कि उसे पुष्ट किया जाना चाहिए या उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, आरंभिक परिवीक्षा अवधि के समाप्त

होने के बाद जल्द ही अर्थात्, 6 से 8 सप्ताह के अंदर लिया जाना चाहिए और उसकी सूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए तथा अगर अवधि का विस्तार किया हो तो उसके कारण बताए जाने चाहिए। चाहे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सीधी भर्ती वाले कर्मियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद हो, किसी स्थायी पद पर नियुक्त उम्मीदवार को, जिसकी परिवीक्षा की निश्चित शर्तें हों, उसे उसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तारीख से ही उस श्रेणी में पुष्ट किया जाना चाहिए। कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी यदि संतोषजनक रूप से प्रगति न कर रहा हो या जो सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, उसे उसकी मूल परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से काफी पहले ही उसकी कमियों की सूचना दे दी जानी चाहिए जिससे कि वह अपने को सुधारने के गंभीर प्रयास कर सके।

परिवीक्षा के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों का एक दूसरे के सापेक्ष क्रम नहीं निर्धारित करना चाहिए बल्कि केवल यह निर्णय करना चाहिए कि अधिकारियों ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण की है अथवा नहीं। यदि किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का निष्पादन संतोषजनक नहीं है तो विभागीय पदोन्नति समिति यह सुझाव दे सकती है कि उस अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए या उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाए।

21. परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा मुक्ति अथवा प्रत्यावर्तन :

- (1) विनियम-19 में निश्चित किए अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की पहली नियुक्ति की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद उसके आचरण अथवा निष्पादन के आधार पर उसे पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है तो उसे मंडल की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- (2) यदि कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी जो किसी पद का पुनः ग्रहणाधिकार रखता है और विनियम 19 के अनुसार निर्धारित परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुसार संतोषप्रद कार्य नहीं करता है तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस का वह ग्रहणाधिकार रखता है।
- (3) यदि कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी उसके निष्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा में असफल रहने के आधार पर उस पद पर बने रहने के योग्य नहीं माना जाता है तो उसे किसी पद पर पुनः ग्रहणाधिकार नहीं होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा अथवा अगर उसे किसी पद पर पुनः ग्रहणाधिकार है तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

22. कुछ मामलों में पदोन्नति, पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा :

अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे पद निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन पर पुष्टि अथवा पदोन्नति किसी अर्हकारी विभागीय परीक्षा के पास करने की शर्त पर ही की जाएगी। अध्यक्ष समय-समय पर ऐसी अर्हकारी परीक्षा की अन्य बातें जैसे परीक्षा

आयोजित करने का तरीका, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा का अंतराल, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम अवधि आदि भी निर्दिष्ट करेंगे।

23. विभागीय परीक्षा में असफल रहने पर प्रत्यावर्तन :

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हकारी विभागीय परीक्षा उनके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर पास करनी होगी अन्यथा कर्मचारी को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। यदि किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए किसी परीक्षा को पास करने की पूर्ववर्ती शर्त हो तो ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए तब तक किसी कर्मचारी पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह निर्धारित परीक्षा पास न कर ले।

24. वरिष्ठता सूची

प्रत्येक श्रेणी के लिए कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता दर्शाते हुए एक अद्यतन पदक्रम सूची बनाई जाएगी। सूची में प्रत्येक श्रेणी के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग दर्शाया जाएगा। यह सूची प्रत्येक वर्ष परिचालित की जाएगी।

25. वरिष्ठता का निर्धारण :

- (1) किसी श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की परस्पर वरिष्ठता, सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच रिक्तियों के अनुक्रम के अनुसार जो कि अनुसूची में बताए गए सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के लिए आरक्षित श्रेणी के कोटे पर आधारित होगी, निर्धारित की जाएगी। उन मामलों में जहाँ रिक्तियों का विनिमय, विनियम (6) के अनुसार रखा गया हो तो वरिष्ठता भर्ती के तरीकों के अनुसार होगी।
- (2) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को परस्पर उसी क्रम में रखा जाएगा जिसमें वे परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर चयन सूची में योग्यताक्रम के अनुसार रखे गए थे। वरिष्ठता क्रम में पहली चयन सूची के उम्मीदवारों को बाद की चयन सूचियों के उम्मीदवार से पहले रखा जाएगा।
- (3) रिक्तियों के पदोन्नति कोटे के निमित्त नियुक्त व्यक्तियों को आपस में उसी क्रम के अनुसार रखा जाएगा जिस क्रम में वे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदित किए गए थे।
- (4) उपर्युक्त उप-विनियम (1) से (3) में किसी भी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व निर्धारित की जा चुकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. विभागीय पदोन्नति समिति :

- (1) इस विनियमावली के अनुसार विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के नामों की सिफारिश करने हेतु प्रत्येक श्रेणी अथवा पद के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी।
- (2) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन वैसा ही होगा जैसा विनियम 12 में सेवा चयन समिति के लिए बताया गया है तथा पैनल की वैधता वही होगी जो विनियम-13 में उल्लिखित है।

27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र :

- (1) जहां किसी श्रेणी में एक या उससे अधिक पद निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार फीडर श्रेणी के पद धारण करने वाले कर्मचारियों से चयन द्वारा पदोन्नति की पद्धति से भरे जाने हैं, वहाँ योग्य पद धारण करने वाले तथा पदोन्नति के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा यदि वे विचार क्षेत्र में आते हों।
- (2) चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की सिफारिश करते समय निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाएगा :-
 - (क) विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए विचारणीय कर्मचारियों का विहित मानदंडों के अनुसार योग्यताक्रम तय करेगी और तदनुसार अधिकारियों को "योग्य" अथवा "अयोग्य" घोषित करेगी। केवल उन्हें, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "योग्य" घोषित किया गया हो, फीडर श्रेणी में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में रखा जाएगा। वे अधिकारी जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "अयोग्य" घोषित किया गया हो, उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
 - (ख) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे पात्र कर्मचारियों पर भी विचार करेगी जो विदेश सेवा अथवा अध्ययन अवकाश पर हों।
 - (ग) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही के लिए पालन की जानेवाली पद्धति पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

टिप्पणी : रु. 80,000 - 2,20,000 या अधिक के वेतनमान के पदों में आमेलन हेतु, जिसके लिए भर्ती की संयुक्त विधि अपनाई जाती है, उनके लिए समग्र श्रेणीकरण का मापदंड "बहुत अच्छा" होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में यह मापदंड "अच्छा" रहेगा।

- (3) गैर-चयन पदों पर पदोन्नति के लिए, जहाँ कोई मापदंड निर्दिष्ट नहीं हो, वहाँ चयन का आधार वरिष्ठता और योग्यता होगा।

28. तदर्थ नियुक्तियां :

तात्कालिक आवश्यकता के मामले में जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत पैनल के सभी उम्मीदवार नियुक्त किए जा चुके हों, नियुक्ति प्राधिकारी फीडर श्रेणी या पद से पात्र एवं उपयुक्त वरिष्ठतम कर्मचारी को एक बार में छः माह की अवधि तथा अधिकतम एक वर्ष या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नए पैनल की सिफारिश किए जाने में से, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर उस पद पर नियुक्त करेंगे। तदर्थ नियुक्ति, यदि अपरिहार्य हो तो, भर्ती नियमों में बताई गई अर्हता, अनुभव के मानकों को कठोरतापूर्वक पूरा करते हुए ही की जानी चाहिए।

29. अनुकम्पा नियुक्तियाँ :

इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष इस विनियमावली में विहित भर्ती की सामान्य प्रक्रिया का त्याग करके मंडल की सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारी के वैध पुत्र अथवा पुत्री अथवा जीवित पति/पत्नी को तीसरी अथवा चौथी श्रेणी के किसी पद पर नियुक्त कर सकते हैं यदि इस प्रकार नियुक्त होने वाला व्यक्ति निर्धारित अर्हता एवं अनुभव रखता हो और अन्यथा रूप से भी उस पद के लिए उचित हो बशर्ते यह प्रक्रिया इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/दिशा निर्देशों के अधधीन होगी।

30. निर्वचन :

इस विनियमावली को लागू करने में केन्द्र सरकार के समय समय पर संशोधित सभी अनुदेश जो इस विनियमावली के किन्हीं भी उपबंधों के विरुद्ध न हों और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेश जो इस विनियमावली में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए मामलों पर लागू होते हैं, पालन किए जाएंगे।

जब भी इनमें से किसी विनियम के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होगा, तो मामले को निर्णय के लिए अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

31. निरसन और बचत :

सभी विनियमावलियां नामतः जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियमावली, 2011, इस विनियमावली के अनुरूप और इस विनियमावली के शुरू होने से ठीक पहले लागू सभी प्रक्रियाओं, पद्धतियों और परंपराओं को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

परन्तु साथ ही यह भी कि इस प्रकार निरस्त की गई विनियमावलियों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों, परंपराओं के अंतर्गत जारी आदेश अथवा की गई कार्रवाई इस विनियमावली के संगत उपबंधों के अंतर्गत किए गए माने जाएंगे।

(विनियम 5 देखें)

अनुसूची - I

(इसमें श्रेणी-I पदों के लिए
भर्ती नियम शामिल हैं)

नोट: बोर्ड द्वारा अनुमोदित श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों के लिए भर्ती नियम, इस विनियमावली में अनुसूची II और III के रूप में संलग्न किए जाएंगे।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन-प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिचीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप प्रबंधक (प्रशासन)	3	श्रेणी-1	50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व)	चयन	7	<p>सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं</p> <p>सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं</p> <p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक की उपाधि किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संतर्ग में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव मराठी का ज्ञान 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	सौधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	कार्यालय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और अध्वक्ष द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	13
2	प्रबंधक (प्रशासन)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व)	चयन	35	<p>सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं</p> <p>सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं</p> <p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संतर्ग में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव। <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक की उपाधि। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों सौधी भर्ती द्वारा	₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) के वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके उप प्रबंधक (प्रशासन/कार्मिक/श्रम कल्याण) से पदोन्नति द्वारा। आमेलन/प्रतिनियुक्ति समकक्ष पद अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में ₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) के वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके उप प्रबंधक (प्रशासन) के पद से की जाएगी।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन नैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदेन/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदेन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदेन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	उप महा प्रबंधक (प्रशासन)	1	श्रेणी-4	80000-220000	चयन	42	<p>अनिवार्य :</p> <p>(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि</p> <p>(2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या संबन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक की उपाधि</p>	(क) नहीं ! (ख) हां ! (ग) नहीं !	लागू नहीं	संपुक्त विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न हो पाने की स्थिति में किसी अन्य सरकारी संठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों से न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	संपुक्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में सामान्य प्रशासन के संबंधित विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक (जैसे वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन)/विधि/ कार्मिक/औद्योगिक विपणन/मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/संपदा) का पद धारण करने वाले अधिकारी जो 60000-180000 के वेतनमान वाले पदों की श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों अथवा सामान्य प्रशासन के संबंधित विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक या समकक्ष अधिकारी जो इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा और प्रबंधक या समकक्ष अधिकारी के रूप में ₹. 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में एवं ₹. 60000-180000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में 7 वर्ष की संपुक्त नियमित सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे ।	प्रतिनियुक्ति के लिए सरकारी/अर्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वयत्शासी निकायों में समकक्ष पद अथवा सामान्य प्रशासन के संबंधित विभाग में उप सचिव तथा उसके समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी जो ₹. 60000-180000 के वेतनमान में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, पात्र होंगे ।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेदन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिचया की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम जिनसे पदोन्नति/आमेदन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	महा प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव / मुख्य महा प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव	1	श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	100000-260000 (तीन वर्षों की नियमित सेवा के बाद ₹.120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन)	चयन	45	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक स्तर में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव। <p>वांछनीय:</p> <ul style="list-style-type: none"> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/ श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि में स्नातक की उपाधि। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संव्यस्त विधि से आमेलन द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों सीधी भर्ती द्वारा	संव्यस्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापसन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा सामान्य प्रशासन/मानव संसाधन विकास/ विधि विभाग/कार्मिक/औद्योगिक संबंध में ₹. 80000-220000 के वेतनमान वाले पदों की श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए सरकारी/अर्ध-सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में (महापसन प्राधिकरणों को छोड़कर) समकक्ष पद अथवा सामान्य प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ विधि विभाग में उप महा प्रबंधक/ वरिष्ठ प्रबंधक तथा उसके समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी जो ₹. 80000-220000 या उससे अधिक के वेतनमान में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।	₹. 100000-260000 के वेतनमान से ₹. 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन निर्धारित शर्तों के अधीन होगा (क) जन्य प्रधिकरण के अध्यक्ष की संसृति (ख) अधिकारी के पिछले पाँच वर्ष की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें बहुत अच्छा श्रेणी से नीचे नहीं होना चाहिए, (ग) अधिकारी सलकला की दृष्टि से निर्बाध होना चाहिए। अधिकारी की नियुक्ति शुरू में महाप्रबंधक के रूप में की जाएगी और वेतनमान के उन्नयन के बाद उनका पदनाम मुख्य महा प्रबंधक होगा।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन विभाग में (निजी सचिवों के) श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा रैर-चयन पद	सिधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सिधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सिधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सिधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिससे पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उपाध्यक्ष के निजी सचिव	1	श्रेणी-1	50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व)	चयन	30	अनिवार्य: (1) माय्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः आशुलिपि और टंकण में प्रवीणता (3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान (4) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक/निजी सचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं। (ख) नहीं। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/ प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की स्थिति में सिधी भर्ती द्वारा।	₹. 40000-140000 के वेतनमान वाली श्रेणी में विभागाध्यक्ष के निजी सहायक के पद पर 3 वर्ष का कार्य कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति। किसी महापत्तन न्यास में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उस श्रेणी के फीडर पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके व्यक्तियों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति।	13
2	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	श्रेणी-1	50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व)	चयन	35	अनिवार्य: (1) माय्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः आशुलिपि और टंकण में प्रवीणता। (3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। (4) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक/निजी सचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/ प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की स्थिति में सिधी भर्ती द्वारा।	उपाध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर ₹. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति को पदोन्नति से। ऐसा न होने की स्थिति में उपाध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर ₹. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा और ₹. 50000-160000 तथा ₹. 40000-140000 के वेतनमानों में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति। किसी महापत्तन में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उस श्रेणी के फीडर पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके व्यक्तियों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति।	

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं औ. सं. मा. सं. वि. प्रभाग) में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप प्रबंधक (कार्मिक)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्वी)	चयन	7 लागू नहीं	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि। <p>वाञ्छनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि। किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक स्तर में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा-33.1/3%	कार्यालय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	13
2	उप प्रबंधक (श्रम कल्याण)	3	श्रेणी-1	50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्वी)	चयन	7 लागू नहीं	<p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि/डिप्लोमा। मराठी का ज्ञान सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में प्रविष्ट हुए हों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसका परिणाम अतिवदन आमतंत्रित करने की अंतिम तिथि तक घोषित कर दिया गया हो। <p>वाञ्छनीय:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम कल्याण अधिकारी / औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में 2 वर्षों का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा-33.1/3%	कार्यालय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आतथ्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	प्रबंधक (कार्मिक)	2	श्रेणी-I	50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि</p> <p>(2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि।</p>	(क) नहीं (ख) जी हाँ (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति से दोनों से न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	रु. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (कार्मिक/ प्रशासन/श्रम कल्याण) से पदोन्नति। किसी महापत्तन प्राधिकरण में रु.50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके या कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	
4	वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक/ औद्योगिक संबंध)	2	श्रेणी-I	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में 9 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि।</p>	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	रु. 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (कार्मिक/मा.सं.वि./प्रशासन/विधि) द्वारा। ऐसा न होने की स्थिति में इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (कार्मिक/मा.सं.वि./प्रशासन/विधि) और कार्मिक/ औद्योगिक संबंध / प्रशासन/विधि के संबंधित क्षेत्र में रु. 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में प्रबंधक एवं रु. 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उप प्रबंधक के रूप में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों में से पदोन्नति। किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद या उप-कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी या कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में समकक्ष पद पर रु. 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान वाली श्रेणी में प्रबंधक के रूप में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अथवा और-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिदीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	उप महा प्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध)	1	श्रेणी-I	80000-220000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक स्तर में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कार्य/श्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि।</p>	(क) नहीं। (ख) हां।	2	संयुक्त विधि से आमेलन न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक/औ.संबंध) अथवा कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग में समकक्ष पद पर रु. 60000-180000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा इस श्रेणी में या कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग के समकक्ष पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी और संबंधित क्षेत्र में प्रबंधक के रूप में रु. 50000-160000 तथा वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में 60000-180000 के वेतनमानों में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।	अभ्युक्ति

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के प्रशासन विभाग (विधि प्रभाग) में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा नैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	8	9	10	11	12	13	
1	प्रबंधक (विधि)	1	श्रेणी-1	50000-160000	चयन	35	अनिवार्य: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम की विधि स्थापना में पांच वर्ष का कार्यकारी अनुभव। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	₹.50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक से पदोन्नति। किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा विधि अधिकारी (श्रेणी-1) या विधि विभाग के समकक्ष पद पर ₹. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी वर्ग से आमेलन/प्रतिनियुक्ति होगी।	वै पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
2	उप महा प्रबंधक (विधि)	1	श्रेणी-1	80000-220000	चयन	42	अनिवार्य: (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के विधि प्रतिष्ठान में 12 वर्ष का कार्यपालक अनुभव। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातकोत्तर उपाधि।	(क) नहीं। (ख) हाँ (ग) नहीं।	लान् नहीं	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में अत्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों द्वारा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा विधि प्रभाग में ₹. 60000-180000 के वेतनमान में वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) या समकक्ष पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) और विधि प्रभाग में ₹. 50000-160000 के वेतनमान में प्रबंधक के रूप में तथा ₹. 60000-180000 के वेतनमान में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए किसी सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकाय में समकक्ष पद धारित करनेवाले अधिकारी या उप मुख्य विधि अधिकारी या विधि विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी जो ₹. 60000-180000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।		

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन विभाग में हिन्दी प्रकोष्ठ के श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	ते पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रबंधक (राजभाषा)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व)	लागू नहीं	35	<p>अनिवार्य :</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर एक विषय अंग्रेजी रहा हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर एक विषय हिन्दी रहा हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय रहे हों। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो। <p>(11) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों से संबंधित कार्य का 5 वर्ष का अनुभव एवं/या अंग्रेजी से हिन्दी या इसके विपरीत अनुवाद का अनुभव जो मुख्यतः तकनीकी या वैज्ञानिक प्रकृति का हो या भारत सरकार के गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना में या अनुसंधान/हिन्दी पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : हिन्दी की कक्षाएं या टिप्पण एवं आलेखन की कार्यशाला आयोजित करने का या हिन्दी पत्रकारिता का अनुभव।</p>	(क) लागू नहीं। (ख) लागू नहीं। (ग) लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	

जवाहरलाल नेहरू पत्रन प्रधिकरण के विपणन विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	तथा सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	प्रबंधक (विपणन)	2	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750)	चयन	35	अनिवार्य: <ul style="list-style-type: none"> जनसम्पर्क या विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि किसी बड़े सेवा संगठन में जनसम्पर्क, प्रचार और अभिवृद्धि में 5 वर्षों का शैक्षणिक/कार्यकारी अनुभव हिन्दी और मराठी का कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय: <ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटीकृत कार्यालय में कार्य करने का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों से न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष के निची सचिव / उप प्रबंधक (प्रशासन) / कार्यालय / श्रम कल्याण जो इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, में से पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष के निची सचिव/ उप प्रबंधक (प्रशासन / कार्यालय / श्रम कल्याण) जो इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित क्षेत्र में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) और ₹.40000-140000/ ₹.36500-88700 के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, उन अधिकारियों में से।	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष के निची सचिव / उप प्रबंधक (प्रशासन) / कार्यालय / श्रम कल्याण जो इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, में से पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष के निची सचिव/ उप प्रबंधक (प्रशासन / कार्यालय / श्रम कल्याण) जो इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित क्षेत्र में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) और ₹.40000-140000/ ₹.36500-88700 के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, उन अधिकारियों में से।	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष के निची सचिव / उप प्रबंधक (प्रशासन) / कार्यालय / श्रम कल्याण जो इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, में से पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष के निची सचिव/ उप प्रबंधक (प्रशासन / कार्यालय / श्रम कल्याण) जो इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित क्षेत्र में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) और ₹.40000-140000/ ₹.36500-88700 के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, उन अधिकारियों में से।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा नै. चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम लिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन)	1	श्रेणी-I	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) जनसम्पर्क या विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि</p> <p>(ii) किसी बड़े सेवा संगठन में जनसम्पर्क, प्रचार और अभिवृद्धि में 9 वर्ष का शैक्षणिक/कार्यकारी अनुभव</p> <p>(iii) हिन्दी और मराठी का कार्यसाधक ज्ञान</p> <p>वांछनीय:</p> <p>कम्प्यूटरीकृत कार्यालय में कार्य करने का अनुभव</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित (विपणन) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, ऐसा न होने पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (विपणन) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और संबंधित क्षेत्र में प्रबंधक पद पर ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) तथा उय प्रबंधक पद पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से पदोन्नति होगी।	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित (विपणन) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, ऐसा न होने पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (विपणन) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और संबंधित क्षेत्र में प्रबंधक पद पर ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) तथा उय प्रबंधक पद पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से पदोन्नति होगी।	

जवाहरलाल नेहरू पवन प्राधिकरण के विच विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनिधित्व के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनिधित्व द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनिधित्व की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप-प्रबंधक (विच)	7	श्रेणी-1	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 20600-46500)	चयन	30	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। (वर्तमान में आईसीएमए के रूप में जाना जाता है) <p>वाछनीय:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में विच/लेखाकरण के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक है। (ग) नहीं।	2	सौधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33-1/3%	कार्यालय अधीन से पदोन्नति - 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	13
2	प्रबंधक (विच)	7	श्रेणी-1	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। (वर्तमान में आईसीएमए के रूप में जाना जाता है) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में विच, लेखाकरण के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक है।	2	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनिधित्व द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (विच) वर्ग से पदोन्नति। किसी महापवन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रबंधक (विच) के पद पर जो ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से आमेलन/ प्रतिनिधित्व होगी।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिचया की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिन्से पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	3	श्रेणी-1	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य :</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में वित्त, लेखाकरण के क्षेत्र में 9 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक है। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (वित्त) ऐसा न होने की स्थिति में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक और वित्त विभाग में उप प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में तथा प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतन मान में 9 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा कर चुकने वालों में से पदोन्नति होगी।	₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (वित्त) ऐसा न होने की स्थिति में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतन श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों से आमेलन/प्रतिनियुक्ति होगी।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवेक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम किनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1		2		5		7	8	9	10	11	12	13	
4	उप महा प्रबंधक (वित्त)	3	श्रेणी-1	80000-220000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य। किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में वित्त, लेखाकरण के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा या प्रेषा न होने की स्थिति में अथवा सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापतन प्राधिकरण के वित्त विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित कर चुके और किसी महापतन प्राधिकरण में वित्त विभाग में प्रबंधक एवं समकक्ष पद पर ₹.60000-180000 तथा ₹. 50000- 160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमानों में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापतन प्राधिकरण के वित्त विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर ₹. 60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित कर चुके और किसी महापतन प्राधिकरण में वित्त विभाग में प्रबंधक एवं समकक्ष पद पर ₹.60000-180000 तथा ₹. 50000- 160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमानों में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर ₹. 60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समय श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

क्र.सं	पदनाम	पदा की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अथवा और चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिससे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	महा प्रबंधक (लिच) मुख्य महा प्रबंधक (लिच)	1	श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	100000-260000 (तीन वर्षों की नियमित सेवा के बाद रु.120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन)	चयन	45	अनिवार्य : • भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य । (वर्तमान में आईसीएमए के रूप में जाना जाता है) • किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में लिच लेखाकरण के क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) नहीं ।	लापू नहीं	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा ।	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए वित्त विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी या रु. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे। सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों (महा पत्तन प्राधिकरणों के अलावा) में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी या महाप्रबंधक या उप महा प्रबंधक / वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 80000-220000 और उससे अधिक की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे । चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।	100000-260000 के वेतनमान से 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिखित के अधीन होगा - (क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की संरक्षित । (ख) अधिकारी के पिछले पांच वर्ष की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें बहुत अच्छा श्रेणी की होनी चाहिए, (ग) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से निर्बंध होना चाहिए । (घ) मंत्रालय का अनुमोदन । अधिकारी की नियुक्ति शुरू में महाप्रबंधक के रूप में की जाएगी और वेतनमान के उन्नयन के बाद उनका पदनाम मुख्य महा प्रबंधक होगा ।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वित्त विभाग के अंतर्गत प्रबंधन सेवा प्रभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौथी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौथी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौथी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/अभिलेखन के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौथी भर्ती या पदोन्नति/अभिलेखन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम जिनसे पदोन्नति/अभिलेखन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1	उप प्रबंधक (प्रबंधन सेवा)	4	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 20600-46500)	चयन	30	<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/ अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि।</p> <p>वांछनीय : (i) गणित/ सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन में (स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा)। (iii) प्रोग्रामिंग/इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग/सिस्टम एनालिसिस आदि में 2 वर्ष का अनुभव।</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	सौथी भर्ती द्वारा- 66-2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	₹ 40000-140000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके प्रोग्रामरों में से पदोन्नति। अथवा प्रोग्राम सहायक (तृतीय श्रेणी) से पदोन्नति - प्रबंधन सेवाएं प्रभाग में 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा के पूरी कर चुके हों तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	13	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा रैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव पदोन्नति/आमलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/ आमलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	12	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	प्रबंधक (प्रबंधन सेवा)	3	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 20600-46500)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) प्रोग्रामिंग / इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग / सिस्टम डिजाइन एवं एनालिसिस और संबंधित क्षेत्र का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: गणित/ सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन में (स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा)।</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में आमलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (प्र.सेवा) से, ऐसा न होने की स्थिति में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके उप -प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग में संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) तथा प्रोग्रामर / सहा प्रबंधक के रूप में ₹. 40000-140000 के वेतन मानों में प्र.से. अनुभाग में 8 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति होगी। किसी महापत्तन न्यास में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा पी एण्ड आर विभाग में सहायक निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग)/ और उसके समकक्ष अन्य पद पर ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति आमलन/ प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति की जागी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	वरिष्ठ प्रबंधक (प्रबंधन सेवा)	1	श्रेणी-I	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/ सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/ अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) प्रोग्रामिंग/इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग/सिस्टम डिजाइन एवं एनालिसिस तथा संबंधित क्षेत्र का 9 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(1) गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन (स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा)।</p>	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	रु.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750)की वेतन श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (प्र.से.)से, ऐसा न होने की स्थिति में रु.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) तथा प्रबंधक के रूप में रु.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतन मान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति होगी।	किसी महापत्रन न्यास में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा भी एण्ड आर विभाग में उप-निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग)/उप-निदेशक (अनुसंधान) और समकक्ष पद पर रु. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतन श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति आमेलन/प्रतियुक्ति के पात्र होंगे।	13

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आम्रलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आम्रलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आम्रलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	उप महा प्रबंधक (प्रबंधन सेवा)	1	श्रेणी-1	80000-220000 (पूर्व संशोधित 32900-58000)	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) प्रोग्रामिंग/इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग/सिस्टम डिजाइन एवं एनालिसिस तथा संबंधित क्षेत्र का 12 वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(1) गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन (स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा)।</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	समिश्र पद्धति द्वारा आम्रलन न होने के स्थिति में अन्य सरकारी प्रतिनियुक्ति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	समिश्र पद्धति द्वारा आम्रलन के लिए समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी या ₹.60000-180000 की वेतन श्रेणी में (इडाप्रो) विभाग में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी या वरिष्ठ प्रबंधक (प्र.से.) या अन्य महापालन व्यसों में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके वरिष्ठ प्रबंधक (प्र.से.) और समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी और इडाप्रो/प्रबंधन सेवा विभाग में प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) तथा वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में ₹.60,000-180,000 के वेतन मान में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से पदोन्नति होगी।	समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वयंसेवासी निकायों (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग) विभाग में वरिष्ठ उप-निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग) और समकक्ष पद पर ₹. 60000-180000 के वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदांड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा नै-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आमलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	ये पदकम जिनसे पदोन्नति/ आमलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी)	25	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100 - 15100)	चयन	लागू नहीं	अनिवार्य : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। वाकनवीय : किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में संबंधित पद पर 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित क्षेत्र में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	सहा.प्रबंधक (यांत्रिक तथा विद्युत अभियांत्रिकी) जो ₹ 40000-140000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति।	13
2	प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी)	13	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750)	चयन	35	अनिवार्य : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से यांत्रिक /विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। • किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से संबंधित विषय में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100 - 15100) के वेतनमान में उप प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति से, ऐसा न होने की स्थिति में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100 - 15100) के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी) से तथा यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100 - 15100) तथा सहायक प्रबंधक के रूप में ₹.40000-140000 के वेतनमान में कुल 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति से पदोन्नति की जाएगी।	किसी महापत्तन प्राधिकरण में संबंधित क्षेत्र में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा इस श्रेणी में फीडर पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों द्वारा आमलन/ प्रतिनियुक्ति से की जाएगी।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा नैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/ आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		2		5		7		9	10	11	12	13
3	वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी)	4	श्रेणी-I	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से यांत्रिक /विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता।</p> <p>(2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यालयक स्तर में संबंधित क्षेत्र का 9 वर्ष का अनुभव।</p>	<p>(क) नहीं।</p> <p>(ख) नहीं। किन्तु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न हो पाने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	<p>₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके व्यक्ति से, ऐसा न होने की स्थिति में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी) के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा और यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में संबंधित क्षेत्र में उप प्रबन्धक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) तथा प्रबन्धक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में कुल 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके व्यक्ति पदोन्नति की जाएगी।</p> <p>किसी महापतन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा फ्रीडर पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति से की जाएगी।</p>	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निधारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव पदोन्नति/अभिलेखन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्तन की निधारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/अभिलेखन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम जिसे पदोन्नति/अभिलेखन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उप महा प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी)	3	श्रेणी-I	80000-220000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किरसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से यांत्रिक/ विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। किरसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यालयक स्तर में संबंधित पद पर 12 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं।	संयुक्त विधि से अभिलेखन द्वारा या ऐसा करने की स्थिति में अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा अभिलेखन के लिए किरसी महापतन प्राधिकरण के यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में उस श्रेणी में संबंधित पद पर ₹.60000-180000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके वरिष्ठ प्रबंधक अथवा समकक्ष पद अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा किरसी महापतन प्राधिकरण में यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक अथवा समकक्ष पद के अधिकारी उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) तथा वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में ₹.60000-180000 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे।	सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों के यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में ₹.60000-180000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके संबंधित क्षेत्र की उस श्रेणी में समकक्ष पद अथवा अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमोलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमोलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमोलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	महा प्रबन्धक (यात्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी) मुख्य महा प्रबन्धक (यात्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी)	1	श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	1000000-2600000 (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद ₹.1200000-2800000 के वेतनमान उन्नयन)	चयन	45	अनिवार्य: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यात्रिकी/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी/नौ-स्थापत्य में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के तहत जारी एमओटी प्रथम श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र। किसी महापत्तन प्राधिकरण/औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में यात्रिक सेवा/विद्युत/समुद्री/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूर संचार अभियांत्रिकी के कार्यों का 17 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 10 वर्ष का अनुभव कार्गो प्रहसन उपस्करों का अंतरिक्षण / विद्युत संस्थान/जहाज मरम्मत का कार्य करने वाली कर्मशाला में होना चाहिए।	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विधि द्वारा आमोलन के लिए, समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या ₹.900000-2400000 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी या यात्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग और समुद्री विभाग में ₹.800000-2200000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी।	संयुक्त विधि द्वारा आमोलन के लिए, समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या ₹.900000-2400000 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी या यात्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग और समुद्री विभाग में ₹.800000-2200000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी। सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों (महापत्तन प्राधिकरणों के अलावा) में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा यात्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में उप महा प्रबन्धक या इसके समतुल्य पद पर ₹.800000-2200000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	₹. 1000000-2600000 के वेतनमान से ₹. 1200000-2800000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिखित आधार पर होगी क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की संस्कृति। ख) गत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए। ग) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से निर्बंध होना चाहिए। घ) मंत्रालय का अनुमोदन। उसे महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वेतनमान उन्नयन के बाद उसे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के यातायात विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा फेर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनिधित्व के मामलों में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनिधित्व द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनिधित्व की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप प्रबन्धक (यातायात)	15	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 20600-46500)	चयन	लागू नहीं	अनिवार्य : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी। वांछनीय : किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में निवहन/कार्गो प्रचालन / रेल निवहन के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्यकारी अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	सहायक प्रबन्धक (यातायात) जो ₹. 40000-140000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति।	13

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	प्रबंधक (यातायात)	8	श्रेणी-I	50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किन्हीं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को स्वीकृत दी जाएगी। किन्हीं औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में नौकरी/कार्गो प्रचालन/रेल परिवहन के क्षेत्र में 5 वर्षों का कार्यकारी अनुभव। 	<p>(क) नहीं।</p> <p>(ख) हां, हालांकि सेवारत मौजूदा कर्मचारियों में से दिनांक 21.01.2011 को जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है वह पात्र होंगे।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	2	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	उप प्रबंधक (यातायात) जो ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों से पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में 2 वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों तथा यातायात विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) और सहायक प्रबंधक के रूप में ₹.40000-140000 के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से की जाएगी।	किन्हीं महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रबंधक (यातायात) जो ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान की श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों, से आमेलन/प्रतिनियुक्ति से की जाएगी।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अप्रयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	वरिष्ठ प्रबंधक (यातायात)	3	श्रेणी-I	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी। किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में नौवहन/कार्गो प्रचालन/रस परिवहन के क्षेत्र में 9 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। 	<p>(क) नहीं।</p> <p>(ख) हां, हालांकि मौजूदा सेवागत कर्मचारियों में से दिनांक 21.01.2011 को इजीनिअरिंग डिप्लोमा है वह पात्र होंगे।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	2	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	प्रबंधक (यातायात) जो ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान की श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति, ऐसा न हो पाने पर प्रबंधक (यातायात) जो ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और यातायात विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) तथा प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से की जाएगी। किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) के वेतनमान की श्रेणी में प्रबंधक (यातायात) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति आमेलन/प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिदोषा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	उप महा प्रबंधक (यातायात)	4	श्रेणी-I	80000-220000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी। किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में नौवहन/कार्गो प्रचालन/रेल परिवहन के क्षेत्र में 12 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विधि द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में अत्य सरकारी से संगठन प्रतियुक्ति द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (यातायात) तथा यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में उसके समतुल्य पद पर ₹.60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति अथवा यातायात विभाग के संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक (यातायात) और समतुल्य पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और किसी महापत्तन प्राधिकरण में यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) तथा वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में ₹.60000-180000 के वेतनमानों में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके व्यक्ति पदोन्नति के पात्र होंगे।	सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा वरिष्ठ प्रबंधक तथा यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में समतुल्य पद पर ₹.60000-180000 के वेतनमान वाली श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आर्सेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/ आर्सेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आर्सेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	महा प्रबंधक (यातायात) मुख्य महा प्रबंधक (यातायात)	1	श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)	100000-260000 (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद ₹.120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन)	चयन	45	अनिवार्य : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। • अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी। • किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में नौबहन/कार्गों प्रचालन/रेल परिवहन क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विधि से आर्सेलन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आर्सेलन के लिए किसी महाप्रबंधक प्राधिकरण में यातायात विभाग में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या ₹.80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी, पात्र होंगे। सरकारी/ अधिसूचक/सार्वजनिक या स्वायत्तशासी निकायों (महाप्रबंधक प्राधिकरणों के अलावा) में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा यातायात विभाग में उप महा प्रबंधक अथवा उसके समतुल्य पद पर ₹. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।	₹. 100000-260000 के वेतनमान से ₹. 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिखित के अधीन होगा - क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की संसृति। ख) गत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए। ग) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से निर्बाध होना चाहिए। घ) मंत्रालय का अनुमोदन। उसे महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वेतनमान के उन्नयन के बाद उसे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थानित किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के पतन योजना एवं विकास विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा रैर-चयन पद	सौथी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौथी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौथी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिदीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौथी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप प्रबंधक (ए.पो.वि.)	3	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100)	चयन	7 लापू नहीं	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि। <p>वांछनीय:-</p> <ul style="list-style-type: none"> किमी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक सेवामें योजना/निर्माण/अभिकल्पना/अनुरक्षण का विशेषतः पतन और समुद्री संरचनाओं का 2 वर्ष का अनुभव। 	<p>(क) नहीं।</p> <p>(ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी डिप्लोमा अनिवार्य है।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	2	सौथी भर्ती द्वारा- 66-2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	सहायक प्रबंधक (ए.पो.वि.) जो ₹ 40000-140000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति होगी।	13

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन और चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	प्रबंधक (प.यो.वि.)	5	श्रेणी-1	50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मायताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में सालक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि। किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में योजना/निर्माण/अधिकल्पना/अनुरक्षण का विशेषतः पतन और समुद्री संरचनाओं का 5 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) नहीं, किन्तु किसी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	उप प्रबंधक (प.यो.वि./संपदा) जो ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों से पदोन्नति, ऐसा न होने पर उप प्रबंधक (प.यो.वि./संपदा) जो ₹. 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और पतन योजना एवं विकास विभाग या संपदा विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) तथा सहा. प्रबंधक के रूप में ₹.40000-140000 के वेतन मान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति होगी।	किसी महापत्तन प्राधिकरण में उपर्युक्त अनुभव रखने वाले तथा समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा फीडर पद से आमेलन / प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	वरिष्ठ प्रबंधक (प.यो.वि.)	2	श्रेणी- I	60000-180000	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि। • किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक स्तर में योजना/निर्माण/अभिकल्पना/अपुर्क्षण का विशेषज्ञ पत्तन और समुद्री संरचनाओं का, 9 वर्ष का अनुभव। 	<p>(क) नहीं।</p> <p>(ख) नहीं किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अनिवार्य है।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	02	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	प्रबंधक (प.यो.वि.) जो ₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों से, ऐसा न होने की स्थिति में प्रबंधक (प.यो.वि.) जो ₹.50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों और जो पयोग विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) तथा प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) के वेतनमानों में 9 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके हों, ऐसे व्यक्तियों में से पदोन्नति होगी।	अभ्युक्ति

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदावधि/अभिलेखन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदावधि/आभिलेखन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदावधि/आभिलेखन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	उप महा प्रबंधक (ए.यो.वि.)	3	श्रेणी-1	80000-220000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिलिल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता। किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में योजना/ निर्माण / अभिलेखना / अदुरक्षण का विशेषज्ञता. पदान और समुद्री संरचनाओं का. 12 वर्ष का अनुभव। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं।	संयुक्त विधि से आभिलेखन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आभिलेखन के लिए किसी महापतन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा सिलिल अभियांत्रिकी/पयोवि विभाग में संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक (ए.यो.वि.) तथा समतुल्य पद पर ₹. 60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी अथवा किसी महापतन प्राधिकरण में सिलिल अभियांत्रिकी/पयोवि विभाग में संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक (ए.यो.वि.) अथवा समतुल्य पद पर इस श्रेणी में 2 वर्ष और प्रबंधक के रूप में ₹.50000-160000 (संशोधनपूर्व 10750-16750) तथा वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में ₹.60000-180000 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा पूरी कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।	सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा सिलिल अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक तथा समकक्ष पद पर ₹. 60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	महा प्रबंधक (प.यो.वि.) मुख्य महा प्रबंधक (प.यो.वि.)	1	श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	100000-260000 (3 वर्ष की नियमित सेवा के बाद 120000-280000) वेतनमान में उन्नयन	चयन	45	आवश्यक : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि । • किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में योजना/निर्माण/ अभिकल्पना/अपेक्षक का विशेषतः पतन और समुद्री संरचनाओं का, 17 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं । (ख) हां । (ग) नहीं ।	लागू नहीं ।	संपूर्ण विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनो द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।	संपूर्ण विधि द्वारा आमेलन के लिए सिविल अभियांत्रिकी/प.यो.वि. विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी, अथवा रु. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । सरकारी/ अर्धसरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में (महापतन प्राधिकारणों को छोड़कर) समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा सिविल अभियांत्रिकी विभाग में उप महा प्रबंधक या उसके समतुल्य पद पर रु.80000-220000 की वेतन श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे । चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम पापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।	रु. 100000-260000 के वेतनमान में से रु. 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिखित के अधीन होगा - क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की संसृति । ख) अधिकारी के पिछले 5 वर्षों की वार्षिक प्रगति मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होना चाहिए । ग) अधिकारी सतर्कता दृष्टि से निर्बंध हो । घ) मंत्रालय का अनुमोदन । अधिकारी को महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वेतनमान में उन्नयन के बाद मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के चिकित्सा विभाग में भर्ती के लिए नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा नैर-चयन पद	सिधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सिधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सिधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, तथा (ख) शैक्षणिक योग्यताएं पदेन/प्रतियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सिधी भर्ती या पदेन/प्रतियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदेन/प्रतियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	चिकित्सा अधिकारी	4	श्रेणी-I	50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100)	लागू नहीं	लागू नहीं	अनिवार्य : <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि अथवा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि । एक वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद किसी अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव । वाछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि/डिप्लोमा।	लागू नहीं	2	सिधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा रैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवेक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी)	1	श्रेणी-I	500000-1600000 (10750-16750 संशोधन पूर्ण)	चयन	40	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दत्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि। एक वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद किसी अस्पताल में 5 वर्ष का अनुभव <p>वांछनीय:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि/डिप्लोमा 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति के आधार पर, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	इस श्रेणी में ₹. 500000-1600000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) के वेतन मान में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके चिकित्सा अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे। आमेलन/प्रतिनियुक्ति किसी महापत्तन प्रशिक्षण में समकक्ष पद धारित करने वाले या इस श्रेणी में फौंडर पदों पर 5 वर्ष का अनुभव रखनेवाले अधिकारियों में से की जाएगी।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिदोक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 (ख)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्ण)	लागू नहीं	40	<p>अनिवार्य :</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि अथवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि । किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषज्ञता में चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा । स्नातकोत्तर उपाधि धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में 3 वर्ष का तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव । 	लागू नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा		प्रारंभ में नियुक्ति के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि वाले चिकित्सा अधिकारी पर विचार किया जाएगा, ऐसा न होने की स्थिति में पद को विज्ञापित करके भरा जाएगा ।

जवाहरलाल नेहरू पत्र प्रशिक्षण के चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सोधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सोधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सोधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिदोषा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सोधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 (क)	उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी)	1	श्रेणी-1	60000-180000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (लत) के लिए बीडीएस की उपाधि। एक वर्ष की इंटर्नशिप खत्म होने के बाद किसी अस्पताल में 9 वर्ष का अनुभव। <p>बैठनीय:</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा की सातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा। 	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) हां।	2	पदोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों से न होने पर सोधी भर्ती द्वारा।	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों और ऐसा न होने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 2 वर्ष तथा चिकित्सा अधिकारी के रूप में 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में तथा 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, उनमें से पदोन्नति की जाएगी।	किसी महापत्रक प्रशिक्षण में समकक्ष पद धारित करने वाले या फीडर पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा रैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए अल्प सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदेन/प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदेन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	ते पदक्रम जिनसे पदेन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3 (ख)	उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	1	श्रेणी-1	60000-180000	चयन	42	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषज्ञता में चिकित्सा की सातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा।</p> <p>(3) सातकोत्तर उपाधि धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में 7 वर्ष का तथा सातकोत्तर डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए 9 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव।</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) हां।	2	पदेन/प्रतिनियुक्ति द्वारा या ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) जो रु. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों और ऐसा न होने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो संबंधित क्षेत्र में सातकोत्तर योग्यता रखते हों और इस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, उनमें से पदेन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले या इस श्रेणी में रु. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारियों में से आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	

क्र.सं	पदनाम	पदांची संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा नैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिचीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जायगी	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1	श्रेणी-1	80000-220000	चयन	45	<p>अनिवार्य:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा।</p> <p>(3) स्नातकोत्तर उपाधि धारक उम्मीदवारों के लिए किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का तथा डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए 12 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव।</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सौधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण के चिकित्सा विभाग में समकक्ष पद अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) तथा समतुल्य विशेषज्ञता पद धारण करनेवाले अधिकारी जो ₹. 60000-180000 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों अथवा चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और समतुल्य विशेषज्ञता पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा ₹. 50000-160000 (स्थायी) पूर्व 10750-16750 के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और 60000-180000 के वेतनमान में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद पर 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।	सरकारी / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और चिकित्सा विभाग में समकक्ष पद पर ₹. 60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आय सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम (जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी)	अभ्युक्ति	
1												
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1	श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	100000-260000 (3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बाद 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन होगा)	चयन	50	अनिवार्य: <ul style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा। सनातकोत्तर उपाधिधारक उम्मीदवारों के लिए किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में 16 वर्षों का या डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए 18 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव। 	लागू नहीं	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा 'दोनों' द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापसल न्यास में चिकित्सा विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ₹. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे। सरकारी / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में (महापसल न्यास को छोड़कर) समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा चिकित्सा विभाग में विशेष उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समकक्ष विशेषज्ञता वाले पद पर ₹. 80000-220000 तथा उससे अधिक की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।	13	वेतनमान में ₹. 100000-260000 से ₹. 120000-280000 में उन्नयन निम्नलिखित के अधीन होगा- क) जनेप न्यास के अपेक्ष की सिकारिया। ख) अधिकारी के पिछले 5 वर्षों की वार्षिक प्रगति मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होना चाहिए। ग) अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला दर्ज न हो। घ) मंत्रालय का अनुमोदन।

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के समुद्री विभाग में (जहाज पर) श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अधवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	त्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	पायलट	6	श्रेणी-1	70000-200000	लागू नहीं।	40	अनिवार्य: विदेशगामी जलयान के मुख्य अधिकारी तथा उससे उच्च पद के रूप में कम से कम एक वर्ष के सेवा अनुभव के साथ अधिपति का सक्षमता प्रमाणपत्र। भारतीय नागरिक जिसके पास भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सक्षमता का विदेशी प्रमाणपत्र हो, को नौवहन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	9 लागू नहीं।	10 2	11 सीधी भर्ती द्वारा।	12 लागू नहीं।	13 शुरू में पदधारी को प्रशिक्षणार्थी पायलट के रूप में नियुक्त किया जाएगा और निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा पायलट लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात उसे पायलट के पद पर 2 वर्षों की परिशिक्षा अवधि के साथ नियुक्त किया जाएगा। यदि पायलट प्रशिक्षण/परिवर्षा अवधि के दौरान परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सौधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सौधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सौधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिचीका की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सौधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2	गोदी अधिपति	2	श्रेणी-I	90000-240000	चयन	43	अनिवार्य: i. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिपति का संक्षमता प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता। ii. पायलट का लाइसेंस और सभी प्रकार के जलयानों के संचालन में संक्षमता। iii. विदेशगामी जहाज के पायलट अथवा अधिपति के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। iv. निकर्षण अधीक्षक के पद के लिए कुल 5 वर्ष के अनुभव में से 1 वर्ष का अनुभव निकर्षण के क्षेत्र में अनिवार्य है।	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा न होने पर या आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों से न होने पर सौधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति के लिए इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके पायलट पात्र होंगे। किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ₹. 70000-200000 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके पायलट आमेलन/प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा पर-चयन पद	सिधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सिधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सिधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, तथा (ख) शैक्षणिक योग्यताएं पदेन/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सिधी भर्ती या पदेन/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम किनसे पदेन/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	हार्बर मास्टर	1	श्रेणी-1	100000-260000	चयन	45	<p>अनिवार्य:</p> <p>i. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिपति का संक्षिप्त प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता।</p> <p>ii. पायलट का लाइसेंस और विदेशगामी जलयान के अधिपति के रूप में या नौचालन का या संयुक्त रूप से कुल 8 वर्ष का अनुभव।</p>	(क) नहीं। (ख) हां। (ग) नहीं।	लागू नहीं।	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	<p>किसी महापतन में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ₹ 90000-240000 के वेतनमान में गोदी अधिपति/मास्टर पायलट/निकर्षण अधिकार आदि जो 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, संयुक्त विधि से आमेलन के लिए पात्र हैं।</p> <p>सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा गोदी अधिपति / मास्टर पायलट/निकर्षण अधिकार और जहाज पर इसके समकक्ष पद के अधिकारी जो उपर्युक्त अनुभव रखते हों, प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।</p> <p>चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।</p>	अभ्युक्ति

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उप-संरक्षक	1	श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)	100000-260000 (3 वर्ष की नियमित सेवा के बाद 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन होगा)	चयन	50	<p>अनिवार्य:</p> <p>i. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिपति का संक्षमता प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता।</p> <p>ii. पायलट का लाइसेंस और जलयान के अधिपति के रूप में या नौचालन का या 10 वर्ष का संयुक्त अनुभव होना चाहिए।</p>	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	लागू नहीं।	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	<p>संयुक्त विधि से आमेलन के लिए</p> <p>(i) किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या</p> <p>(ii) रु 100000-260000 के वेतनमान में 1 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हार्बर मास्टर अथवा</p> <p>(iii) किसी महापत्तन प्राधिकरण में रु.90000-240000 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हार्बर मास्टर पात्र होंगे।</p> <p>सरकारी / अधिसरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में (महापत्तन प्राधिकरण को छोड़कर) समकक्ष पद अथवा रु.90000-240000 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हार्बर मास्टर और इस श्रेणी में समकक्ष पद धारित करने वाले व्यक्ति प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।</p> <p>चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।</p>	अभ्युक्ति

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण के समुद्री विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा री-चयन पद	सिंधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सिंधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सिंधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, तथा (ख) शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिबीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सिंधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी)	2	श्रेणी-1	50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100)	चयन	30	अनिवार्य : मायता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि या समकक्ष उपाधि अनिवार्य : (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) कि सी विदेशगामी जलयान पर स्वतंत्र वॉच कीपिंग अभियंता के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	प्रतिनियुक्ति द्वारा या ऐसे न हो पाने की स्थिति में सिंधी भर्ती द्वारा।	₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) के वेतनमान वाली श्रेणी में यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के उप प्रबंधक प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	13
2	प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750)	लागू नहीं	35	अनिवार्य : (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) कि सी विदेशगामी जलयान पर स्वतंत्र वॉच कीपिंग अभियंता के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	सिंधी भर्ती द्वारा।	₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) के वेतनमान वाली श्रेणी में प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति, ऐसा न होने पर प्रबंधक जो ₹. 50000-160000 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो तथा समुद्री विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे।	
3	वरिष्ठ प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी)	1	श्रेणी-1	60000-180000	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं।	अनिवार्य : • वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र। • विदेशगामी जहाज पर स्वतंत्र वॉच कीपिंग अभियंता के रूप में 6 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति न होने पर या आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों द्वारा न होने पर सिंधी भर्ती द्वारा।	₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) के वेतनमान वाली श्रेणी में प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति, ऐसा न होने पर प्रबंधक जो ₹. 50000-160000 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो तथा समुद्री विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में ₹. 50000-160000 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे।	कि सी महापतन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ₹. 50000-160000 के वेतनमान में वरिष्ठ समुद्री अभियंता के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी आमेलन/प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा नै-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	सहायक महाप्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी)	1	श्रेणी-1	70000-200000	लागू नहीं	40	अनिवार्यः (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी एमओटी श्रेणी-1 का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) किसी विदेशगामी जलयान पर मुख्य अभियंता/द्वितीय अभियंता के रूप में 1 वर्ष का श्रेष्ठतर अनुभव।	लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।		

क्र.सं	पदनाम	पदा की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	उप महाप्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी)	1	श्रेणी-I	80000-2200000	चयन	44	<p>अनिवार्य :</p> <ul style="list-style-type: none"> वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-I का मॉटर प्रमाणपत्र। किसी विदेशगामी जलयान पर मुख्य अभियंता के रूप में 4 वर्ष या सुख्य अभियंता और द्वितीय अभियंता के रूप में 5 वर्ष का संयुक्त अनुभव। 	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा या संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा और ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति आधार पर और दोनो से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	रु. 70000-200000 के वेतनमान वाली श्रेणी में सहायक महाप्रबंधक (स.अभि.) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण चुके अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे। किसी महापतन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा रु. 70000-200000 के वेतनमान वाली श्रेणी में समुद्री अभियंता के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारी आमेलन के पात्र होंगे। सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वार्जविक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा रु. 70000-200000 के वेतनमान में समुद्री अभियंता का पद या समुद्री अभियांत्रिकी के क्षेत्र में समकक्ष पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के समुद्री विभाग के अग्नि एवं सुरक्षा अनुभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹.)	चयन अथवा रि-चयन पद	सिधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सिधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सिधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवर्द्धा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सिधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जायगी	अभ्युक्ति
1	प्रबंधक (अग्नि एवं सुरक्षा)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता।</p> <p>(ii) अग्नि एवं सुरक्षा इकाई में 5 वर्ष का कार्यकारी अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>हिन्दी और मराठी का ज्ञान।</p>	लागू नहीं	2	सिधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं।	13
2	प्रबंधक (सुरक्षा)	1	श्रेणी-1	50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750)	चयन	35	<p>अनिवार्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक/विद्युत्/इलेक्ट्रॉनिक/रसायन अभियांत्रिकी या प्रायोगिकी में स्नातक की उपाधि। • विस्फोटक सामग्री और खतरनाक माल के प्रहस्तन में सुरक्षा का कार्य करने वाली औद्योगिक इकाई या किसी पत्तन में 5 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। • मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या डिप्लोमा। <p>वांछनीय: हिन्दी और मराठी का ज्ञान</p>	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती न होने पर अन्य महापत्तनों से स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों से न होने पर सिधी भर्ती द्वारा	समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी या ₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) के वेतनमान में यातायात/यांत्रिक एवं विद्युत् अभियांत्रिकी विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके उप प्रबंधक प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे। किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 9100-15100) के वेतनमान में उप प्रबंधक पद के समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के सतर्कता विभाग में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवेक्षा की निर्धारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अभ्युक्ति
1	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी-1	60000-180000	चयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	2	प्रतिनियुक्ति द्वारा	किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पदधारित करने वाले अधिकारी या ₹. 50000-160000 (संशोधन पूर्व 10750-16750) के वेतनमान के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी और ऐसा न होने पर केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकायों के इस श्रेणी के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी और किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
2	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी-1 (विभागाध्यक्ष)	120000-280000	चयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	अखिल भारतीय/केंद्रीय सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार में उप-सचिव/निदेशक के पद पर नियुक्ति के योग्य हैं।	प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी और किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

मनिषा जाधव,
महाप्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव.

JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

New Delhi, the 13th January 2025.

NOTIFICATION

No. JNP/A/P/Gazette Notification/2025.

In exercise of the powers conferred by Section 72 (2) (c), read with Section 18 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority hereby pre-publish the Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024. As detailed in the schedule here under, inviting the objections and suggestions from interests concerned.

2. The objections and suggestions if any may be submitted within 30 days from the date of this pre-publication to the following address :—

Postal Address : The General Manager (Admn.) & Secretary
Jawaharlal Nehru Port Authority,
Administration Building,
Sheva, Navi Mumbai 400 707.

E-mail : gmadmn@inport.gov.in

Jawaharlal Nehru Port Authority**Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024.**

In exercise of the powers conferred by Section 72 (2) (c), read with Section 18 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority hereby makes the following Regulations, namely :—

The Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024.

The said Regulation shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 72 (2) (c), read with section 18 of the Major Port Authorities Act, 2021 in the *Gazette of India*.

2. APPLICATION

These Regulations shall apply to all posts created under Section 18 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (i) of Section 18 of the Act.

3. DEFINITION

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021).
- (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
- (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Jawaharlal Port Authority Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2024, to make appointment to that grade or post.
- (d) "Board", "Chairperson", "Deputy Chairperson" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.
- (e) "Class I Posts", "Class II Posts", "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2024.
- (f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under Regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.
- (g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by the Services Selection Committee.
- (h) "Employee" means an employee of the Board.
- (i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 20 of the Act.

- (j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior-most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

- (k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.

- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these Regulations.

- (m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

- (n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.

- (o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these Regulations.

- (p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.

- (q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

4. MANNER OF APPOINTMENT

(1) All appointments to the posts to which these Regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these Regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation shall be of employees from the Major Ports, the Central Government, State Government, autonomous bodies or Government Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is three years, which is extendable to four years.

(2) In exceptional circumstances, this can be extended to five years by the Central Government in the case of a post, the incumbent of which is regarded

as the Head of Department; and by the Chairperson in the case of any other post below the level of Head of Department.

Provided further that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HoD, all the vacancies shall be filled by 'Composite method of recruitment, i.e. through promotion/transfer/deputation on absorption basis failing which deputation and failing both by direct recruitment. The promotion/transfer on absorption will be from the Officers of Major Ports fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the Regulation.

5. SCHEDULES

The manner of appointment, i.e., whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non-selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provisions of Section 18 of the Major Port Authorities Act, 2021. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Government in case of HODs and by Chairperson in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment/absorption/ deputation as under :-

- (i) upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and upto 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e., ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces, up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependents of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and

- (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

6. ROSTER OF VACANCIES

A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

7. RESERVATION

(1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply *mutatis mutandis* to all appointments covered by these Regulations.

(2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of Other Backward Classes, Ex-servicemen and dependents of those killed in action, Sportsmen and Physically Handicapped persons shall also apply *mutatis mutandis* to appointments covered by these Regulations and to which direct recruitment is made.

8. NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT :

- (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be -
- a Citizen of India; or
 - a subject of Nepal; or
 - a subject of Bhutan; or
 - a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or
 - a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United

Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairperson may, from time to time require:

Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India:

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

- (2) The Chairperson may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these Regulations.
- (3) No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any personshall be eligible for appointment to any grade or post to which these Regulations apply;

Provided that the Central Government in case of HODs and Chairperson in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-regulation.

- (4) A candidate must satisfy the Appointing Authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.
- (5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Government in case of HODs and Chairperson in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.
- (6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Government in case of HODs and Chairperson in all other cases.

9. ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT

When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualification and experience. Age limit in such cases will not apply.

10. ADVERTISEMENT OF VACANCIES

- (1) For vacancies of Class III and Class IV to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, vacancies shall be advertised in new paper within the state. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and Employment News as well as Port's website.
- (2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified/advertised unless otherwise specified.

11. CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:

The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

12. SERVICES SELECTION COMMITTEE:

(1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

(2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub-regulation (1) shall be the following, namely:

(a) For Heads of Departments:

- | | |
|--|---------------|
| (i) Joint Secretary of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPS&W) looking after the Charge of PHRD | - Chairperson |
| (ii) Chairperson, Jawaharlal Nehru Port Authority | - Member |
| (iii) Any other Port Chairperson or an officer having wide | - Member |

experience in the field to be nominated by the MoPS&W

- (iv) Representative of SC/ST & OBC nominated by the MoPS&W - Member

(b) For Class I posts

- (i) Chairperson - Chairperson
 (ii) Deputy Chairperson - Member
 (iii) HoD in charge of the Department in which the Vacancy occurs - Member
 (iv) HOD in charge of the Administration Department - Member
 (iv) Representative of SC/ST & OBC nominated by the Chairperson - Member

(c) For Class II posts:

- (i) Dy. Chairperson - Chairperson
 (ii) HOD incharge of Administration Department - Member
 (iii) Dy. General Manager (P&IR) - Member
 (iv) HoD in charge of the Department in which the Vacancy occurs - Member
 (v) Representative of SC/ST & OBC nominated by the Chairperson - Member

(d) For Class III posts :

- (i) HOD of Administration Department - Chairperson
 (ii) An officer of the rank not below the Dy. General Manager of the department in which the vacancy occurs -Member
 (iii) One officer of the rank not below the rank of Dy. General Manager of any other Department of the Jawaharlal Nehru Port Authority to be nominated by the Chairperson -Member
 (iv) Representative of SC/ST & OBC nominated by the Chairperson not below the rank of Dy. General Manager -Member

(e) For Class IV posts

- (i) A Class I officer, of the Department below the rank of Dy. General Manager - Chairperson

- (ii) A Class I officer below the rank of Dy. General Manager of the department in which the vacancy occurs - Member
- (iii) One Class I officer of the rank below the Dy. General Manager from any other Department of the Jawaharlal Nehru Port Authority to be nominated by the Chairperson - Member
- (v) Representative of SC/ST & OBC nominated by the Chairperson below the rank of Dy. General Manager - Member

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialized in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

(3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the Committee shall be decided by the Chairperson in each case.

13. SELECT LIST

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration for appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved, whichever is earlier.

14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND AD-HOC APPOINTMENTS

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee;

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairperson and the Authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairperson who shall decide the same;

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairperson may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis subject to the condition that:

- (1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.
- (2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- (3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION

Any endeavor on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or to have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance as per orders in this regard issued by the Central Government from time to time.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-Regulations (2) and (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 80,000-2,22,000- and above.

Provided that, where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the Appointing Authority.

Provided that, when the appointment is made by direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.80,000, the period of probation shall be one year;

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades;

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the Appointing Authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the Appointing Authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

- (i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.
- (ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

- (i) The appointee should satisfactorily complete the probation.
- (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).
- (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

- (i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.
- (ii) Where probation is prescribed, the Appointing Authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

(4) Confirmation of probationers: A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the

DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in Regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the Appointing Authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairperson may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairperson may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairperson from time to time, within such period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter se seniority according to

rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked *inter-se* in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked *inter-se* according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-Regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these Regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these Regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

(1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:

- (a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.

- (b) The Departmental Promotion Committees shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.
- (c) The instructions issued by the Government from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Government servants shall mutatis mutandis apply.

Note:- For absorption to the post carrying pay scale of Rs.80000-220000 and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

- (3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the Appointing Authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Chairperson may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these Regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable subject to the orders/guidelines issued from time to time by the Central Government in this regard.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these Regulations, the matter shall be referred to the Chairperson for a decision, whose decision thereon shall be final and binding.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the Regulations namely the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, procedures, practices, and customs corresponding to these Regulations and in force immediately before the commencement of these Regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the Regulations, procedures, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

(Refer Regulation 5)

SCHEDULE - I

(Contains RRs for Class I posts)

Note : RRs for Class III and Class IV posts approved by the Board will be appended as Schedules II and III to these Regulations.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (MAIN ADMN.) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No. of the Post	No. of Posts	Classi- fication	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non- Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Deputy Manager (Admn.)	3	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	N. A.	<p>Essential:</p> <p>1. A degree from a recognized University.</p> <p>Desirable:</p> <p>1. Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subject or degree in Law from a recognized University/ Institutions.</p> <p>2. Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in and Industrial/ Commercial / Govt. Undertaking.</p> <p>4. Knowledge in Marathi</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	<p>By direct recruitment - 66.2/3%</p> <p>By Promotion - 33.1/3%</p>	Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman	
2 Manager (Admn.)	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	35	<p>Essential:</p> <p>(i) A degree from a recognised university.</p> <p>(ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Admn., Personnel, Industrial Relation etc., in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable:</p> <p>Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Mgmt/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subject or degree in Law from a recognised university/institution.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	<p>By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.</p>	<p>Promotion from Deputy Manager (Admn./Personnel/Labour Welfare) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade.</p> <p>Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Deputy Manager(Admn.) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Authority.</p>	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (MAIN ADMN.) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	General Manager (Admn.) & Secy. / Chief General Manager (Admn.) & Secy.	1	Class-I (HOD)	100000 - 260000 (Elevated to the scale of pay of Rs. 120000 - 280000 after 3 years regular service.) (Pre-revised 43200-66000) After 3 Years regular service 51300-73000	Selection	45	Essential: (i) A degree from a recognised university. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of General Admn., Personnel, Industrial Relation etc., in an Industrial/ Commercial./Govt. Undertaking. Desirable: Post Graduate degree/diploma in Personnel Mngt./Industrial Relations/ Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/ institution.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method, officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 with 3 years regular service in the General Admn./Human Resources Development./ Legal/Personnel / Industrial Relations/of a Major Port Authority will be eligible. For deputation officers holding analogous posts or officers holding post of Deputy General Manager/Senior Manager and equivalent posts in Administration/HRD/Legal in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 and above with 3 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies (other than Major Port Authorities) will be eligible.	Elevation of pay scale from 100000-260000 to 120000-280000 after three years will be with the approval of the Ministry subject to : (a) Recommendation of Chairperson, JNPA for elevation of the pay-scale of the officer; (b) The APARs of officer for the last 5 years should not be below bench mark of "Very Good". (c) The officer should be clear from Vigilance Angle. He/She will be initially appointed as General Manager and after elevation of pay scale he/she will be designated as Chief General Manager.	
												The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not below "Very Good."

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (PRIVATE SECRETARIES) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	PS to Dy. Chairperson	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	30	Essential (i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Five years experience as Stenographer/PA in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PA to HOD in the scale of pay of Rs. 40000 - 140000 with 3 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years regular service in the grade in a Major Port.	13
2	PS to Chairperson	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	35	Essential (i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively. (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Eight years experience as Stenographer/PA in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PS to Dy.Chairperson in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade failing which PS to Dy. Chairman with 2 years regular service in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) & Rs. 40000 - 140000.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 5 years regular service in the grade in a Major Port.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DEPARTMENT(P&IR-HRD DIVISION) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Deputy Manager (Personnel)	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	N. A.	<p>Essential:</p> <p>1. A degree from a recognized University / Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>1. Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Works/ Labour Welfare or allied subject or Degree in Law from a recognized University/ Institution.</p> <p>2. Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in and Industrial/ Commercial / Govt. Undertaking.</p>	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/-with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman		
2	Deputy Manager (Labour Welfare)	3	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	N. A.	<p>Essential:</p> <p>1. A degree from a recognized University.</p> <p>2. Degree or Diploma in Social Science from a recognized University/ Institutions.</p> <p>3. Knowledge of Marathi.</p> <p>4. Appeared in interview for the examination for Civil Service Examination, result of which have been declared by UPSC till the date of closure of inviting applications.</p> <p>Desirable:</p> <p>2 years experience as a Labour Welfare Officer/ Industrial Relations Officer in and Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman		

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Manager (Personnel / HRD)	2	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	35	<p>Essential:</p> <p>(i) Degree from a recognised university/institution.</p> <p>(ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial./Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable:</p> <p>Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/Social Work / Labour Welfare or allied subject or Degree in Law from a recognised University / Institution.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by Absorption/Deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Manager (Personnel/Adm./Labour Welfare) in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade.	Absorption/deputation will be from officers holding analogous posts in the respective discipline of Personnel & Industrial Relations in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Authority.
4	Senior Manager (Personnel / Industrial Relations)	2	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	<p>Essential:</p> <p>(i) Degree from a recognised university/institution.</p> <p>(ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Admn., Personnel, Industrial Relations etc., in an Industrial/ Commercial./Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable</p> <p>Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised University/ institution.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by Absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager (Personnel / HRD / Administration / Legal) in the scale of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Manager (Personnel/HRD / Administration / Legal) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750)	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Dy. Personnel Officer/Sr. Welfare Officer or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager with 4 years regular service in the grade in a Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Deputy General Manager (P&IR)	1	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900 - 58000)	Selection	42	Essential: (i) Degree from a recognised university/institution. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of General Admn., Personnel, Industrial Relations etc., in an Industrial/Commercial / Govt. Undertaking. Desirable: Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised University/ institution.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Senior Manager (Personnel/IR) or officers holding equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Division in the Scale of pay of Rs.60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Authority or Senior Manager (Personnel /IR) or equivalent officer in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager and Rs.60000 - 180000 as Senior Manager in the respective discipline of Personnel & IR Division in a Major Port Authority will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Personnel Officer or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 in Govt./ Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (LEGAL DIVISION) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Manager (Legal)	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600 - 46500)	Selection	35	Essential: (i) Degree in Law from a recognised university. (ii) Five years executive experience in a Legal Establishment of an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking. Desirable: Post Graduate degree in Law from a recognised university.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Dy. Manager in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Law Officer Gr.-I or equivalent posts in the discipline of Legal Div. in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
2	Deputy General Manager (Legal)	1	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900 - 58000)	Selection	42	Essential: (i) Degree in Law from a recognised university. (ii) Twelve years executive experience in a Legal Establishment of an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking. Desirable: Post Graduate degree in Law from a recognised University.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. Organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Senior Manager(Legal) or equivalent posts in the discipline of Legal Div. in the scale of pay of Rs.60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Authority or Senior Manager(Legal) with 2 years regular service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager and Rs. 60000 - 180000 as Senior Manager in the discipline of Legal Div. in a Major Port Authority will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or holding post of Dy. Chief Law Officer or equivalent posts in the discipline of Legal Div. in the scale of pay of Rs.60000 - 180000 in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion/Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Deputy Manager (Finance)	7	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	30	Essential: Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (Currently known as ICMA) Desirable: Two years experience in executive cadre in the field of Finance/Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a Degree from a recognised university is essential (c) No.	2	By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Office Superintendent in the scale of pay of Rs. 36500-88700- with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman	
2	Manager (Finance)	7	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600 - 46500)	Selection	35	Essential: Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (Currently known as ICMA) (i) Five years experience in executive cadre in the field of Finance/Accounting in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a Degree from a recognised university is essential	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Manager (F) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Dy. Manager(Finance) in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
3	Senior Manager (Finance)	3	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000 - 50500)	Selection	40	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (Currently known as ICMA) (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of Finance/Accounting in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a Degree from a recognised university is essential (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager (F) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Manager in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & Rs. 50000-160000(Pre-revised 10750-16750) as Manager in the Finance Department. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Manager(Finance) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade in a Major Port Authority.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Deputy General Manager (Finance)	3	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900-58000)	Selection	42	<p>Essential:</p> <p>(i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (Currently known as ICMA)</p> <p>(ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of Finance/Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No.</p>	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Senior Manager(Finance) and Equivalent post in respective discipline of Finance Deptt. in scale of pay of Rs. 60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Authority OR Senior Manager (Finance) and equivalent post in respective discipline of Finance Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 and Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager and equivalent Post in respective discipline of Finance Deptt. In a Major Port will be eligible.	For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Senior Manager / Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 in Govt./Semi-Govt./ PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.	The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACR's will not be below in the ACR's will not be below "Very Good".

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	General Manager (Finance) / Chief General Manager (Finance)	1	Class-I (HOD)	100000 - 260000 (Elevated to the scale of pay of Rs. 120000 - 280000 after 3 years regular service.) (Pre-revised 43200 - 66000) After 3 Years regular service (Pre-revised 51300 - 73000)	Selection	45	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (Currently known as ICMA) (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of Finance/Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officer holding analogous officer holding posts in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 with 3 years regular service in the Finance Department will be eligible. For deputation, Officer holding analogous posts or General Manager or Officer holding post of Deputy General Manager / Sr. Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in the Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 and above with 3 years regular service in the grade in Govt./ Semi Govt./ PSUs or Autonomous Bodies (other than Major Port Authority) will be eligible The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	Elevation of pay scale from 100000-260000 to 120000-280000 will be subject to (a) Recommendation of Chairman, JNFA. (b) The APARs of officer for last 5 years should not be below bench mark of "Very Good". (c) The officer should be clear from Vigilance Angle. (d) Approval of Ministry. He/She will be appointed as General Manager and after elevation of pay scale he/she will be designated as Chief General Manager.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MANAGEMENT SERVICES DIVISION UNDER FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Deputy Manager (MS)	4	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600 - 46500)	Selection	30	<p>Essential:- Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognised University/Institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/ Information Technology from recognised University/Institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/ Information Technology from recognised University/Institution.</p> <p>Desirable:- (i) Post Graduate Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics or (ii) Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admn. (PG degree/diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University/Institution. (iii) Two years experience in Programming/Electronic Data Processing/Systems Analysis etc.</p>	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Programmer in the scale of pay of Rs. 40000 - 140000 with 3 years regular service in the grade. OR Promotion from Programme Assistant Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- in the MS division with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination prescribed by the Chairman	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion/Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Manager (MS)	3	Class-1	50000 - 160000 (Pre-revised 20600 - 46500)	Selection	35	<p>Essential: Degree in Computer Engineering/Computer Sciences from a recognised University/Institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/Information Technology from recognised University/Institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/Information Technology from recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Five years experience in Programming/Electronics Data Processing/System Design & Analysis and related fields.</p> <p>Desirable:- (i) Post Graduate Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admn. (PG Degree/Diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University/Institution.</p>	<p>(a) No. (b) Yes. (c) No.</p>	2	Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Manager (MS) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade falling which Deputy Manager (MS) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager and Rs. 40000-140000 as Programmer/Assistant Manager in the respective discipline of MS Section.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Director(EDP) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade in P&R Division in the Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Senior Manager (MS)	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	<p>Essential: Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognised University/institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/ Information Technology from recognised University/institution.</p> <p>or</p> <p>Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/ Information Technology from recognised University/institution.</p> <p>or</p> <p>Masters of Computer Applications from recognised University</p> <p>(ii) Nine years experience in Programming/Electronics Data Processing/System Design & Analysis and related fields.</p> <p>Desirable:- (i) Post Graduate Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admn. (PG Degree/Diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University/institution.</p>	<p>(a) No. (b) Yes. (c) No.</p>	2	Promotion falling which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager(MS) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade falling which Manager(MS) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager in the respective discipline of MS Section.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Deputy Director(EDP)/Deputy Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade in P&R Division in the Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Deputy General Manager (MS)	1	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900-58000)	Selection	42	<p>Essential:-</p> <p>(i) Degree in Computer Engineering / Computer Sciences from a recognised University/Institution, or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/Information Technology from recognised University/Institution, or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/Information Technology from recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Twelve years experience in Programming/Electronics Data Processing/System Design & Analysis and related fields.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Post Graduate Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admin. (PG Degree/Diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University/Institution.</p>	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Senior Manager(MS) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in EDP-division or Senior Managers(MS) and officers holding other equivalent posts in other Major Port Authority with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager & Rs. 60000 - 180000 as Senior Manager or equivalent post in the respective discipline of EDP/MS Division will be eligible.	For deputation, Officer holding analogous posts or holding posts of Sr. Dy. Director(EDP) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 in EDP Div. in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.	The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age qualifications (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Deputy Manager (Mechanical and Electrical Engineering)	25	Class-I	50000 - 160000 (pre-revised 20600-46500)	Selection	N. A.	<p>Essential: 1. A Degree in Mechanical/ Electrical/ Electronics / Electronics & Tele-Communication Engineering or equivalent from a recognized University/ Institutions.</p> <p>Desirable: Two years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial / Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential. (c) No</p>	2	By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Asst. Manager(M&EE) in the scale of pay of Rs. 40000 - 140000 with 3 years regular service in the grade.	13
2	Manager (Mechanical and Electrical Engineering)	13	Class-I	50000 - 160000 (pre-revised 20600-46500)	Selection	35	<p>Essential: 1. A Degree in Mechanical/ Electrical/ Electronics / Electronics & Tele-Communication Engineering or equivalent from a recognized University/ Institutions. (ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential. (c) No</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Manager (M&EE) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade failing which Deputy Manager(M&EE) in the scale of pay of Rs. 50000-160000 (Pre-revised 9100-15100) with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & Rs. 40000 - 140000 as Asst. Manager in the respective Discipline of M&EE Dept.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts in respective discipline or feeder post with 5 years regular service in the grade in a Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Senior Manager (Mechanical and Electrical Engineering)	4	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	<p>Essential:</p> <p>1. A Degree in Mechanical/ Electrical/ Electronics / Electronics & Tele-Communication Engineering or equivalent from a recognized University/ Institutions.</p> <p>(ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) No, however a diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential.</p> <p>(c) No</p>	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager(M&EE) in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Manager(M&EE) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager in the respective discipline of M&EE Deptt.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts for the feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Authority.
4	Deputy General Manager (Mechanical and Electrical Engineering)	3	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900-58000)	Selection	42	<p>Essential:</p> <p>1. A Degree in Mechanical/ Electrical/ Electronics / Electronics & Tele-Communication Engineering or equivalent from a recognized University/ Institutions.</p> <p>(ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt. organisation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Sr. Manager(M&EE) and equivalent posts in respective discipline of M&EE Deptt. in the scale of pay of Rs 60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in a Major Port Authority or Sr. Manager(M&EE) and equivalent posts in the respective discipline of M&EE Department with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager and Rs.60000 - 180000 as Sr. Manager in the respective discipline of M&EE Deptt. in a Major Port Authority will be eligible.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	General Manager (Mechanical and Electrical Engineering) / Chief General Manager (Mechanical and Electrical Engineering)	1	Class-I (HOD)	100000 - 2600000 (Elevated to the scale of pay of Rs. 120000 - 280000 after 3 years regular service.) (Pre-revised 43200-66000) After 3 years regular service Pre- Revised 51300-73000)	Selection	45	Essential: (i) Degree in Mechanical/ Electrical / Electronic/ Electronics & Tele-Communication Engineering/Naval Architecture from a recognised university/institution or equivalent or MOT 1st class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) Seventeen years experience in a managerial capacity dealing with Mechanical/Electrical/Marine/Electronics/Electronics & Tele-Communication Engineering works, out of which 10 years experience shall be in workshop undertaking maintenance of cargo handling equipment/electrical installation/ship repairs in any Major Port Authority/Industrial/Commercial/ Govt. undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, (i) Officers holding analogous posts OR (ii) Officer holding posts in the scale of pay of Rs. 90000 - 240000 with 2 years regular service; OR (iii) Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 with 3 years regular service in the Mechanical and Electrical Engineering and Marine Department will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officer holding posts of Deputy General Manager and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engrg. Deptt. In the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 and above with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs or Autonomous Bodies (other than Major Port Authority) will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	Elevation of pay scale from 100000-2600000 to 120000-2800000 will be subject to (a) Recommendation of Chairman, JNPT. (b) The APARs of officer for last 5 years should not be below bench mark of "Very Good". (c) The officer should be clear from Vigilance Angle. (d) Approval of Ministry. He/She will be appointed as General Manager and after elevation of pay scale here she will be designated as Chief General Manager

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PORT PLANNING & DEVELOPMENT DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2 Deputy Manager (PP&D)	3	Class-I	50000 - 160000 (pre-revised 20600-46500)	6 Selection	7 N. A.	8 Essential :- (i) Degree in Civil Engg. or equivalent from a recognised University/Institution. Desirable :- Two years experience in executive cadre in Planning / Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	9 (a) No. (b) No. however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/ Institution is essential. (c) No.	10 2	11 By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	12 Promotion from Asst. Manager(PP&D) in the scale of pay of Rs. 40000 - 140000 with 3 years regular service in the grade.	13
2	Manager (PP&D)	5	Class-I	50000 - 160000 (pre-revised 20600-46500)	6 Selection	35	8 Essential :- (i) Degree in Civil Engg. or equivalent from a recognised University/Institution. (ii) Five years experience in executive cadre in Planning/ Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	9 (a) No. (b) No. however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/ Institution is essential. (c) No.	10 2	11 By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	12 Promotion from Deputy Manager (PP&D/ Estate) in the Scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100 with 5 years regular service In the grade failing which Deputy Manager (PP&D/ Estate) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of Rs .50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & Asstt. Manager in the respective Discipline of PP&D Deptt. or Estate.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (Years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Senior Manager (PP&D)	2	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	<p>Essential :-</p> <p>(i) Degree in Civil Engg or equivalent from a recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Nine years experience in executive cadre in Planning/Construction/Design/Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/ Institution is essential.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	<p>Promotion from Manager(PP&D) in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade falling which Manager (PP&D) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager in the respective discipline of PP&D Deptt.</p> <p>Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Authority.</p>	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (Years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Deputy General Manager (PP&D)	3	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900-58000)	Selection	42	<p>Essential :</p> <p>(f) Degree in Civil Engg. or equivalent from a recognised University/Institution.</p> <p>(ff) Twelve years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	N.A.	By absorption through composite method which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Sr. Manager (PP&D) and Equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg./PP&D Dept. in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Authority or Sr. Manager (PP&D) and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg./PP&D Dept. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager & Rs. 60000 - 180000 as Senior Manager in the respective discipline of Civil Engg./PP&D Dept. in a Major Port Authority will be eligible.	For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Sr. Manager and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in Govt./ PSUs/ Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRS will not be below "Very Good".

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	General Manager(PP&D) / Chief General Manager(PP&D)	1	Class-I (HOD)	100000 - 260000 (Elevated to the scale of pay of Rs. 120000 - 280000 after 3 years regular service.) (Pre-revised 43200-66000) After 3 Years regular service Pre Revised 51300-73000)	Selection	45	Essential:- (i) Degree in Civil Engg or equivalent from a recognised University/Institution. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or officer holding posts in the scale of pay of Rs.80000 - 220000 with 3 years regular service in the Civil Engineering /PP&D Department will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or Officers holding post of Deputy General Manager and equivalent posts in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs/Autonomous bodies (other than Major Port Authorities) will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRS will not be below "Very Good".	Elevation of pay scale from 100000-260000 to 120000-280000 will be subject to (a) Recommendation of Chairman, JNPT. (b) The APARs of officer for last 5 years should not be below bench mark of "Very Good". (c) The officer should be clear from Vigilance Angle. (d) Approval of Ministry. He/She will be appointed as General Manager and after elevation of pay scale he/she will be designated as Chief General Manager.

RECRUITMENT RULES OF MEDICAL DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion/Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Medical Officer	4	Class-I	50000 - 160000 (20600-46500 pre-revised)	Not Applicable	N. A.	<p>Essential:</p> <p>i. MBBS Degree from a recognized University or for Medical Officer (Dental), BDS Degree of a recognized University.</p> <p>ii. One year experience in a Hospital, after completion of internship of one year.</p> <p>Desirable</p> <p>A Post Graduate medical degree / diploma from a recognized university.</p>	Not Applicable	2	By direct recruitment.	Not Applicable.	
2(a)	Sr. Medical Officer (General Duty)	1	Class-I	50000 - 160000 (20600-46500 pre-revised)	Selection	40	<p>Essential:</p> <p>(i) MBBS degree from a recognised university or for Sr. Medical Officer(Dental), BDS degree of a recognised university.</p> <p>(ii) Five years experience in a Hospital, after completion of internship of one year.</p> <p>Desirable - A post graduate medical degree/diploma from a recognised university.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Medical Officer in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100 with 5 years regular service in the grade.	Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder posts with 5 years experience in the grade in a Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2(b)	Sr. Medical Officer (Specialist)	1	Class-I	50000 - 160000 (20600-46500 pre-revised)	N.A.	40	<p>Essential:</p> <p>(i) MBBS degree from a recognised university or for Sr. Medical Specialist (Dental), BDS degree of a recognised university.</p> <p>(ii) A post-graduate medical Degree/Diploma in the specified speciality from a recognised university.</p> <p>(iii) Post qualification experience of 3 years for post graduate degree Holders & 5 years for post graduate diploma holder in the relevant field of Specialisation.</p>	Not Applicable	2	By direct recruitment.		In the first instance Medical Officer having post-graduate qualification in the relevant field will be considered for appointment failing which, the post will be filled by open advertisement.
3(a)	Dy. Chief Medical Officer (General Duty)	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	42	<p>Essential:</p> <p>(i) MBBS degree from a recognised university or for Dy. Chief Medical Officer(Dental), BDS degree of a recognised university.</p> <p>(ii) Nine years experience in a Hospital after completion of internship of one year.</p> <p>Desirable: A post graduate medical degree/diploma from a recognised university.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	<p>Promotion from Sr. Medical Officer (General Duty) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Medical Officer (G.D.) with 2 years regular service in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Medical Officer and Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Sr. Medical Officer.</p> <p>Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder posts with 4 years experience in the grade in a Major Post Authority.</p>	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3(b)	Dy. Chief Medical Officer (Specialist)	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	42	<u>Essential:</u> (i) MBBS degree from a recognised University. (ii) A post-graduate medical degree/diploma in the specified speciality from a recognised university. (iii) Post qualification experience of 7 years for post graduate degree holder and 9 years for post graduate Diploma holder in the relevant field of specialisation.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Medical Officer (General Duty) with post graduate qualification in the relevant field and 4 years regular service in the grade.	
4	Sr. Dy. Chief Medical Officer	1	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32900-58000)	Selection	45	<u>Essential:</u> (i) MBBS Degree from a recognised University. (ii) A Post-Graduate(PG) Medical Degree or PG Medical Diploma in the specified speciality from a recognised University. (iii) Post qualification experience of 10 years in case of PG Degree holders and 12 years experience in case of PG Diploma holders in the relevant field of specialisation in a reputed hospital.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from Govt. organisations and failing both by direct Recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or holding the post of Dy. Chief Medical Officer(Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Authority or Dy. Chief Medical Officer(Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Sr. Medical Officer(Specialist) and Rs.60000 - 180000 as Dy. Chief Medical Officer(Specialist) in specialist cadre of Medical Deptt. in a Major Port Authority will be eligible.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age qualifications (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Medical Officer(Specialist) and equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs. 60000 - 180000 in Medical Deptt. in Govt./Semi-Govt./ PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.	The Selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good"

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE DEPARTMENT(DECK SIDE) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pilot	6	Class-I	70000-200000 (Pre-revised 29100-54500)	N.A.	40	Essential: Possess Master(FG) Certificate of Competency with at least one year sailing experience as Chief Officer and above in Foreign Going Ship. Indian citizen with foreign Certificate of Competency and recognized by India, must acquire relevant endorsement from the DG Shipping.	N.A.	2	By Direct recruitment.	N.A.	(Initially the incumbent will be appointed as "Trainee Pilot" and after successfully passing the prescribed examination and getting Pilot License, he will be appointed on the post of Pilot with 2 years probation period. If Pilot fails to pass examination within training/probation period his services are liable to
2	Dock Master	2	Class-I	90000 - 240000 (Pre-revised 36600-62000)	Selection	43	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold Pilots license and have proficiency in handling all types of ships. (iii) 5 years experience as Pilot or Master of a Foreign Going Ship. (iv) For the post of Dredging Supdt., out of 5 years experience, 1 year experience in dredging is essential.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	For promotion, Pilots with 5 years regular service in the grade are eligible. For absorption/deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Pilots in the scale of pay of Rs. 70000 - 200000 with 5 years regular service in the grade in Major Port Authority are eligible.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Harbour Master	1	Class-I	100000 - 260000 (Pre-revised 43200-66000)	Selection	45	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign Going Ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold Pilots license and have 8 years experience either as Master of Foreign Going Ship or in Piloting or cumulative.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method officers holding analogous posts of Dock Master/Master Pilot/Dredging Superintendent etc. in the scale of pay of Rs. 900000 - 2400000 with 2 years regular service in the grade in a Major Port are eligible. For deputation, officers holding analogous posts or holding posts of Dock Master/Master Pilot/Dred. Supdt. and its equivalent Deck side post with experience as mentioned above in Govt./PSUs/ Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	
4	Deputy Conservator	1	Class-I (HOD)	100000 - 260000 (Elevated to the scale of pay of Rs. 120000 - 280000 after 3 years regular service.) (Pre-revised 43200-66000 after completion of 3 years of service 51300-73000)	Selection	50	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign Going Ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold Pilot license and have experience of 10 years either or in Piloting or cumulative.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, (i) Officers holding analogous posts OR (ii) Officers holding posts of Harbour Master in the scale of pay of Rs. 100000 - 260000 with 1 year's regular service. OR (iii) Officers holding posts of Harbour Master with scale of pay of Rs. 90000 - 240000 with 2 years regular service in a Major Port Authority will be eligible. For deputation officers holding analogous posts or officers holding posts of Harbour Master and its	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 90000 - 240000 with 2 years regular service in the grade in a Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies (other than Major Port Authority) will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

Annex - G

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE DEPARTMENT(ENGINEERING SIDE) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Deputy Manager (Marine Engineering)	2	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical / Electrical Engineering from a recognised University / institution.	(a) No. (b) Yes (c) No.	2	By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation from Manager in the scale of pay of Rs.50000-160000 of Mechanical and Electrical Engineering Department.	
2	Manager (Marine Engineering)	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	N.A.	35	Essential: (i) MOT II Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act. 1958. (ii) 2 years experience as independent Watch Keeping Engineer on board a Foreign Going Ship.	NA	2	By Direct Recruitment		

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (Years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Senior Manager (Marine Engineering)	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	Not exceeding 40	Essential: (i) MOT-II Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) 6 years experience as independent Watch Keeping Engineer on board a Foreign Going Ship.	(a) No. (b) Yes (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from the post of Manager (M.E.) in the scale of pay of Rs. 50000-160000 with 04 years' regular service in the grade preferably Marine Engineering failing which Manager in the scale of pay of Rs. (50000-160000) with 2 years regular service in the grade and combined regular service of 9 years in the scales of Rs. (50000-160000) as Deputy Manager in the respective discipline of Marine Engineering. Absorption/ deputation from officers holding analogous post or officers with 04 years' regular service in the post of Sr. Marine Engineer in the pay scale or pay offrs. 50000 - 160000 in Major Port Authority	
4	Assistant General Manager (Marine Engineering)	1	Class-I	70000 - 200000 (Pre-revised 29100-54500)	N.A.	40	Essential: (i) MOT-I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) 1 year post qualification experience as Chief Engineer/ 2 nd Engineer on board a Foreign Going Ship.	N.A.	2	by direct recruitment.	N.A.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
5	Deputy General Manager (Marine Engineering)	1	Class-1	80000 - 2200000 (Pre-revised 32900-56000)	Selection	44	(i) MOT-I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) 4 years experience as Chief Engineer or 5 years combined experience as Chief Engineer and 2 nd Engineer on board a Foreign Going Ship.	(a) No (b) Yes (c) No	10 N.A.	By promotion or by absorption through composite method failing which by deputation method from other Govt. organisation and failing both by direct recruitment.	Promotion from the post of Assistant General Manager (Marine Engineering) in the scale of pay of Rs.70000 - 200000 with 4 years regular service in the grade. Absorption through composite method will be of Officers holding analogous posts or Officers with 4 years regular service in post of Marine Engineer in the scale of pay of Rs.70000 - 200000 in a Major Port Authority. For deputation officers holding analogous posts or Officers holding post of Marine Engineers and its equivalents in Marine Engg. side in the scale of pay of Rs.70000 - 200000 with 4 years regular service in the grade in Govt./PSUs/Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	13

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FIRE & SAFETY WING OF MARINE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Manager (Fire & Safety)	1	Class-I	50000 - 160000 (20600-46500 pre-revised)	Selection	35	Essential (i) Degree in Engineering (Fire) from National Fire Service College, Nagpur or equivalent qualification. (ii) 5 years executive experience in Fire and Safety Unit. Desirable Knowledge of Hindi & Marathi.	N.A.	2	By Direct recruitment	N.A.	
2	Manager (Safety)	1	Class-I	50000 - 160000 (20600-46500 pre-revised)	Selection	35	Essential (i) Degree in Mechanical/ Electrical/Electronics/ Chemical Engineering or Technology from a recognised University or Institution. (ii) 5 years executive experience in a Port or similar Industrial Unit dealing with safety in handling explosive material or hazardous goods. (iii) Degree or diploma in Industrial Safety from a recognised Institution or University. Desirable: Knowledge of Hindi & Marathi.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By deputation from other department failing which by Transfer/deputation from other Major Port Authority failing both by direct recruitment	Deputation from officers holding analogous posts or from the post of Deputy Manager in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in Traffic /M&E Engg. Deptt. Transfer/deputation will be from Officers holding analogous posts or officers with 5 years regular service in post comparable to Deputy Manager in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) in Major Port Authorities.	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF TRAFFIC DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Deputy Manager (Traffic)	15	Class-I	50000 - 160000 (23600-46300 Pre-revised)	Selection	N. A.	Essential: 1. A Degree from recognized University. Preference will be given to Engineering Graduate. Desirable: 2 years executive experience in Shipping/ Cargo Operations/ Railway Transportation in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By direct recruitment - 66.25% By Promotion - 33.75%	Promotion from Asst. Manager (Traffic) in the scale of pay of Rs. 40000 - 140000 with 3 years regular service in the grade	
2	Manager (Traffic)	8	Class-I	50000 - 160000 (20800-46500 Pre-revised)	Selection	35	Essential: (i) A degree from a recognized University Preference will be given to Engineering Graduate. (ii) Five years executive experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in an industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Manager (Traffic) in the scale of pay of Rs. 50000-160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service. In the grade failing which Deputy Manager (Traffic) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager & in the scale of Rs. 40000 - 140000 as Asstt. Manager in the respective Discipline of Traffic Deptt.	Absorption/deputation will be officers holding analogous posts or post of Deputy Manager(Traffic) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Authority.
3	Senior Manager (Traffic)	3	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	Essential: (i) A degree from a recognized University Preference will be given to Engineering Graduate. (ii) Nine years experience in shipping/ cargo operations/railway transportation in executive cadre in an industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager(Traffic) in the scale of pay of Rs.60000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Manager(Traffic) in the scale of pay of Rs. 50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 & Pre-revised 9100-15100) as Deputy Manager (Pre-revised 10750-16750) as Manager in the respective discipline of Traffic Department.	Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or post of Manager (Traffic) in the scale of pay of Rs.60000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade in a Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the cases of Promotional/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1												
4	Deputy General Manager (Traffic)	4	Class-I	80000 - 220000 (Pre-revised 32800-58000)	Selection	42	Essential: (i) A degree from a recognized University Preference will be given to Engineering Graduate. (ii) Twelve years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through Composite method falling which by deputation from other Govt. organisation and falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Sr. Manager (Traffic) and equivalent posts in respective discipline of Traffic Dept. in the scale of pay of Rs.60000 - 190000 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Authority or Sr. Manager(Traffic) and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Dept. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-19750) as Manager and Rs.60000 - 180000 as Sr. Manager in the respective discipline of Traffic Dept. in a Major Port Authority will be eligible.	
5	General Manager (Traffic) / Chief General Manager (Traffic)	1	Class-I (HOD)	100000-260000 (Elevated to the scale of pay of Rs. 120000 - 280000 after 3 years regular service) (Pre-revised 43200-66000 after completion of 3 years service 51300-73000)	Selection	45	Essential: (i) A degree from a recognized University Preference will be given to Engineering Graduate. (ii) Seventeen years experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through Composite method falling which by deputation falling both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs 80000 - 220000 with 3 years regular service in Traffic Department of Major Port Authority will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Sr. Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Dept. in the scale of pay of Rs.60000 - 180000 with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs/ Autonomous Bodies etc. will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	Elevation of pay scale from 100000-260000 to 120000-280000 will be subject to (a) Recommendation of Chairman, JNPT. (b) The APARs of officer for last 5 years should not be below bench mark of "Very Good". (c) The officer should be clear from Vigilance Angle. (d) Approval of Ministry. He/She will be appointed as General Manager and after elevation of pay scale he/she will be designated as Chief General Manager

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF VIGILANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Deputation/Transfer.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion / Deputation / Transfer)	In case of Promotion / Deputation/Transfer, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Deputy Chief Vigilance Officer	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	2	By deputation	Deputation from officers of Major Port Authorities holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs. 50000 - 160000/ Rs. 10750-16750 pre-revised) with 3 years regular service in the grade in Major Port Truss failing which from officers of the Central Govt./ State Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies with similar grade.	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case, not to exceed 5 years.
2	Chief Vigilance Officer	1	Class-I (HOD)	120000 - 280000 (Pre-revised 51300-73000)	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By deputation of officers of All India/Central Services	Officer at the level of Deputy Secretary/Director in the Government of India is eligible.	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case, not to exceed 3 years.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF HINDI CELL IN GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Not-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Manager (Official Language)	1	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	N.A.	35	<p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a subject at degree level OR Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a subject at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level.</p> <p>(ii) 5 years experience of termino-logical work in Hindi and or translation work from English to Hindi or vice versa preferably of technical or scientific literature OR 5 years experience of Hindi teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs Govt. of India research, writing of journalism in Hindi.</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience of Organising Hindi classes or workshops for noting and drafting or Journalism in Hindi.</p>	(a) N.A. (b) N.A. (c) N.A.	2	By direct recruitment.	N.A.	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARKETING DIVISION IN JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Manager (Marketing)	2	Class-I	50000 - 160000 (Pre-revised 20600-46500)	Selection	35	<p>Essential:</p> <p>(i) Post graduate Degree in Public Relations or Marketing Management.</p> <p>(ii) 5 years post qualification/ executive experience in a large service organisation in Public Relations, publicity and promotion.</p> <p>(iii) Working knowledge of Hindi and Marathi.</p> <p>Desirable :- Exposure to computerised office working environment.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PS to Dy. Chairman/Deputy Manager (Admn./Personnel/Labour Welfare) in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the grade falling which PS to Dy. Chairman / Deputy Manager(Admn./Personnel/Labour Welfare) in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100), & Rs. 40000 - 140000/Rs. 36500 - 88700 in the respective discipline of GAD.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Public Relation Officer and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) with 5 years regular service in the respective discipline in a MPT.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Senior Manager (Marketing)	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	<p>Essential:</p> <p>(i) Post graduate Degree in Public Relations or Marketing Management.</p> <p>(ii) 9 years post qualification executive experience in a large service organisation in Public Relations, publicity and promotion.</p> <p>(iii) Working knowledge of Hindi and Marathi.</p> <p>Desirable:- Exposure to computerised office environment</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager (Marketing) or equivalent post in GAD in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade failing which Manager (Marketing) or equivalent post in GAD in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with two years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager and Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Dy. Manager in the respective discipline of GAD.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Manager (Marketing) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade in Marketing Division in a Major Port Authority.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Senior Manager (Marketing)	1	Class-I	60000 - 180000 (Pre-revised 24000-50500)	Selection	40	<p>Essential:-</p> <p>(i) Post graduate Degree in Public Relations or Marketing Management.</p> <p>(ii) 9 years post qualification executive experience in a large service organisation in Public Relations, publicity and promotion.</p> <p>(iii) Working knowledge of Hindi and Marathi.</p> <p>Desirable:-</p> <p>Exposure to computerised office environment.</p>	<p>(a) No.</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No.</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Manager (Marketing) or equivalent post in GAD in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade falling which Manager (Marketing) or equivalent post in GAD in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with two years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) as Manager and Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 9100-15100) as Dy. Manager in the respective discipline of GAD.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Manager (Marketing) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.50000 - 160000 (Pre-revised 10750-16750) with 4 years regular service in the grade in Marketing Division in a Major Post Authority.

MANISHA JADHAV,

General Manager (Admn.) and Secretary.